47

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

**(2022-23)**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**अनुदानों की मांगें**

**(2023-24)**

**सैंतालीसवां प्रतिवेदन**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**मार्च, *2023/* चैत्र, *1945* (शक)**

**सैंतालीसवां प्रतिवेदन**

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

## (2022-23)

## (सत्रहवीं लोक सभा)

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**अनुदानों की मांगें**

**(2023-24)**

**23.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**

**23.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**मार्च, *2023/* चैत्र, *1945* (शक)**

## विषय-सूची


| | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **समिति की संरचना (2022-23)** | | |
| **प्राक्कथन** | | |
| | **प्रतिवेदन** | |
| **अध्याय एक** | **परिचय** | 1 |
| **अध्याय दो** | **बजटीय प्रावधान और उपयोग** | 4 |
| **अध्याय तीन** | **छात्रवृति** | 14 |
| **अध्याय चार** | **प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)** | 22 |
| **अध्याय पांच** | **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)** | 28 |
| **अध्याय छह** | **क़ौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस)** | 40 |
| **अध्याय - सात** | **शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीजे)** | 44 |
| **अध्याय - आठ** | **हज प्रबंधन** | 49 |
| | | |
| | **अनुबंध** | |
| **एक.*** | | |
| **दो.*** | | |
| | **परिशिष्ट** | |
| | **टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण** | |


* **बाद में संलग्न किया जाएगा।**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति**
**(2022-23) की संरचना**

**श्रीमती रमा देवी - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के. षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

**राज्य सभा**

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

## लोक सभा सचिवालय

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्रीमती अनीता बी. पांडा | - | अपर सचिव |
| 2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल | - | संयुक्त सचिव |
| 3. श्रीमती ममता केमवाल | - | निदेशक |
| 4. श्री कृषेन्द्र कुमार | - | उप सचिव |
| 5. श्री हाओकीप ककाई | - | कार्यकारी अधिकारी |

## प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगें' विषय पर यह सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विचार किया जिसे 10 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट संबंधी दस्तावेजों, व्याख्यात्मक टिप्पण, आदि प्राप्त करने के बाद समिति ने 17 फरवरी, 2023 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2023 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को अनुदानों की मांगों' (2023-24) की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने और समिति की इच्छानुसार विस्तृत लिखित टिप्पण और सक्ष्योपरांत सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
22मार्च, 2023
चैत्र 01, 1945 (शक(

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

# प्रतिवेदन

## अध्याय - एक

## परिचय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को जनवरी, 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पृथक किया गया था ताकि छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामत: जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमानों, जो भारत की आबादी का लगभग 20% के संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के अधिदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए समग्र नीति और आयोजना, समन्वय, मूल्यांकन और विनियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है। मंत्रालय का दृष्टिकोण राष्ट्र के बहु-विध, बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषी और बहु-धार्मिक चरित्र को सुदृढ़ करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। मंत्रालय का मिशन सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ताकि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और तदनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में समान हिस्सेदारी प्रदान कर एक गतिशील राष्ट्र के निर्माण में भाग लिया जा सके और उनका उत्थान सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के अधिदेश का हज यात्रा के प्रबंधन के लिए अक्तूबर 2016 और हज समिति अधिनियम, 2002 से विस्तार किया गया है।

1.2 2011 की जनगणना के अनुसार, अल्पसंख्यकों की आबादी 121.09 करोड़ की कुल आबादी में से 23.39 करोड़ अर्थात 19.28 प्रतिशत थी। श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नवत है:

| समुदाय का नाम | जनसंख्या (लाख में) | कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत | अल्पसंख्यकों की अंतर-राज्यीय प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| मुस्लिम | 1722.45 | 14.23 | 73.65 |
| ईसाई | 278.20 | 2.30 | 11.89 |
| सिख | 208.33 | 1.72 | 8.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| बौद्ध | 84.43 | 0.70 | 3.61 |
| जैन | 44.52 | 0.37 | 1.90 |
| पारसी | 0.57 | 0.004 | 0.02 |
| कुल | 2338.50 | 19.28 | - |

1.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की चल रही योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

**एक. <u>शैक्षणिक सशक्तीकरण</u>**

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना।

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

(iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

(iv) मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना (एसपीईएमएम) (यह योजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से 01.04.2021 को हस्तांतरित की गई है)

**दो. आर्थिक सशक्तिकरण**

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) में इक्विटी अंशदान।

**तीन. सशक्तिकरण के लिए विशेष पहलें**

(i) कम जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने हेतु योजना

(ii) विकास योजनाओं का प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन।

**चार. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)**

मंत्रालय की आर्थिक सशक्तिकरण और विशेष पहल की पांच योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 से एक एकीकृत योजना अर्थात् प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) में परिवर्तित किया गया है। तथापि, इस योजना को अभी शुरू किया जाना है। इन पांच योजनाओं में कोई नया आबंटन नहीं किया गया है और वर्तमान में इनमें कोई प्रशिक्षण नहीं चल रहा है। ये योजनाएं हैं:

(i) सीखो और कमाओ

(ii) उस्ताद

(iii) हमारी धरोहर

(iv) नई मंजिल

(v) नई रोशनी

**पांच. क्षेत्र विकास कार्यक्रम**

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

***छह.* 2022-23 *से बंद की गईं योजनाएं***

(i) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप

(ii) विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी

(iii) नि: शुल्क कोचिंग योजनाएं

1.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय निम्न स्वायत्त/अधीनस्थ संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है-

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)

(ii) भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम)

(iii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

(iv) केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)

(v) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(vi) भारतीय हज समिति (एचसीओआई)

(vii) राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (एनएडब्ल्यूएडीसीओ)

(viii) भारतीय हज समिति

## अध्याय - दो

## बजटीय प्रावधान और उपयोग

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांगें मांग संख्या 33 के अंतर्गत दी गई है। मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों को 10 फरवरी, 2023 को संसद के पटल पर रखा गया था। अनुदान मांगों के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3097.00 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान योजना परिव्यय और व्यय तथा 2023-24 के लिए बजटीय अनुमानों का योजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्रम सं. | योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | | ब.अ. 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ब.अ. | सं.अ. | वा. व्यय | ब.अ. | सं.अ. | वा. व्यय | ब.अ. | सं.अ. | वा. व्यय (31.12.2022) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में अंशदान | 160.00 | 110.00 | 110.00 | 153.00 | 100.00 | 100.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 61.00 |
| 2. | मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को सहायता अनुदान | 82.00 | 80.00 | 70.92 | 90.00 | 76.00 | 76.00 | 0.01 | 0.01 | 00 | 0.10 |
| 3 | अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन | 50.00 | 35.00 | 11.92 | 41.00 | 41.00 | 15.18 | 41.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4 | मेरिट-सह-साधन छात्रवृति | 400.00 | 400.00 | 396.34 | 325.00 | 325.00 | 345.77 | 365.00 | 358.02 | 34.87 | 44.00 |
| 5 | अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना | 50.00 | 25.00 | 18.44 | 79.00 | 79.00 | 37.15 | 79.00 | 29.97 | 11.81 | 30.00 |
| 6 | एनएमडीएफसी कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान। | 2.00 | 1.00 | 0.97 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
| 7 | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) | 1600.00 | 971.38 | 1091.94 | 1390.00 | 1199.55 | 1266.87 | 1650.00 | 500.00 | 135.43 | 600.00 |
| 8 | प्री-मैट्रिक छात्रवृति | 1330.00 | 1330.00 | 1325.54 | 1378.00 | 1378.00 | 1350.99 | 1425.00 | 556.82 | 44.04 | 433.00 |
| 9 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति | 535.00 | 535.00 | 512.81 | 468.00 | 468.00 | 411.87 | 515.00 | 515.00 | 29.04 | 1065.00 |
| 10 | सचिवालय | 25.00 | 26.00 | 23.72 | 28.00 | 26.90 | 25.60 | 30.61 | 30.61 | 18.11 | 35.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप | 175.00 | 100.00 | 73.50 | 99.00 | 99.00 | 74.00 | 99.00 | 99.00 | 51.61 | 96.00 |
| 12 | कौमी वक्फ बोर्ड की तरक्की योजना | 18.00 | 9.00 | 0.10 | 14.00 | 10.00 | 6.72 | 10.00 | 10.00 | 5.10 | 10.00 |
| 13 | सहरी वक्फ सम्पति विकास योजना (पहले जीआईए टू वक्फ) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 |
| 14 | अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 2.50 | 2.99 | 2.50 | 2.00 | 0.25 | 2.50 |
| 15 | अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी। | 30.00 | 22.00 | 20.19 | 24.00 | 24.00 | 22.15 | 24.00 | 24.00 | 7.01 | 21.00 |
| 16 | कम जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना। | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 1.81 | 6.00 |
| 17 | कौशल विकास पहल | 250 | 190.00 | 190.03 | 276.00 | 250.00 | 268.48 | 235.41 | 100.00 | 28.92 | 0.10 |
| 18 | यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता। | 10.00 | 8.00 | 4.15 | 8.00 | 8.00 | 7.97 | 8.00 | 1.68 | 0.04 | 0.00 |
| 19 | विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) | 60.00 | 60.00 | 56.74 | 60.00 | 60.00 | 76.68 | 47.00 | 47.00 | 10.61 | 47.00 |
| 20 | हमारी धरोहर | 3.00 | 5.20 | 4.55 | 2.00 | 2.00 | 1.66 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.10 |
| 21 | नई मंजिल | 120.00 | 60.00 | 59.84 | 87.00 | 47.00 | 48.86 | 46.00 | 20.00 | 7.08 | 0.10 |
| 22 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | 11.00 | 9.29 | 7.10 | 12.00 | 9..92 | 7.61 | 12.70 | 12.70 | 9.53 | 15.00 |
| 23. | भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी | 3.00 | 2.13 | 1.84 | 2.77 | 2.19 | 2.06 | 2.85 | 2.85 | 1.69 | 4.00 |
| 24 | हज प्रबंधन | 98.00 | 13.00 | 4.93 | 98.00 | 12.04 | 7.10 | 89.42 | 75.00 | 54.91 | 97.00 |
| 25 | मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना (शिक्षा और स्कूल साक्षरता विभाग से स्थानांतरित) | - | - | - | 174.00 | 174.00 | 161.53 | 160.00 | 30.00 | 0.06 | 10.00 |
| 26. | प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540.00 |
| | **कुल** | **5029.00** | **4005.00** | **3998.57** | **4810.77** | **4346.45** | **4325.24** | **5020.50** | **2612.66** | **610.92** | **3097.60** |

2.2 उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2020-21 में 5029.10 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान में से 3998.57 करोड़ रुपये और 2021-22 में 4810.77 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान में से 4325.24 करोड़ रुपये खर्च किए। 2022-23 में 5020.50 करोड़ रुपये में से 13 फरवरी, 2023 तक 668.42 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय किया जा सका है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान का केवल 23% व्यय करने के कारणों और और अंतिम तिमाही में शेष 76.62% व्यय करने का मंत्रालय का क्या प्रस्ताव है के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

" "वित वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय के कम व्यय के प्रमुख कारण हैं:

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए नए तंत्र को अपनाना, जिसके लिए राज्य नोडल एजेंसियाँ )एसएनए) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों )सीएनए) को नियुक्त करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, पीएमजेवीके के एसएनए में 2700 करोड़ रु . की अव्ययित शेष राशि थी (लगभग), जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसी भी नए फंड को जारी करने से पहले संबंधित राज्यसंघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ मिलान / किया जाना था और खर्च किया जाना था।

(ii) मंत्रालय की छात्रवृति योजनाओं को शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों और सामाजिक न्याय जैसे अन्य मंत्रालयों के पैटर्न के साथ जोड़ा जाना था, और इस समझौते पर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ईएफसी लंबित था।

(iii) मंत्रालय की ये दो प्रमुख योजनाएं छात्रवृति योजना और पीएमजेवीके योजना- मिलकर मंत्रालय के बजट का लगभग 80% हिस्सा बनता हैं।

(iv) केंद्र सरकार ने बहुत मजबूत तर्क के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकपूर्व - छात्रवृति योजना के तहत कवरेज को केवल कक्षाIX और X तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले, यह देखा गया है कि प्राथमिक और बुनियादी स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इसके अलावा, इन स्तरों पर छात्र पहले से ही शिक्षा का अधिकार )आरटीई) अधिनियम के तहत शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी जैसे अन्य लक्षित समूहों के लिए लागू समान योजनाओं के साथ अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व योजना के तहत कवरेज को सुसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

(v) पीआईए की गहन जांच, निधियन का तरीका बदल जाने अर्थात् अग्रिम भुगतान से प्रतिपूर्ति और सीएनए की नियुक्ति आदि के कारण सीएफवाई के दौरान कौशल योजना के तहत बजटीय आवंटन  करोड़ 235से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया।

मंत्रालय के कुल संशोधित अनुमान में छात्रवृति योजनाओं की हिस्सेदारी लगभग  %55है। वार्षिक छात्रवृति चक्र ऐसा है कि भुगतान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में होता है। पीएमजीवीके योजना के तहत प्राप्त परियोजनाओं की जांच सक्षम प्राधिकारी के विचार और अनुमोदन के लिए की जा रही है।"

2.3 पीएफएमएस प्रभाग, व्यय विभाग के दिनांक 23.3.2021 के परिपत्र और दिनांक 16.02.2023 के आगे के संशोधन के अनुसार, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों को जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए समिति के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय द्वारा संदर्भित एक संशोधित प्रक्रिया का हवाला देना उचित है।  जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

"सामान्य वित्तीय नियम 232 (वी) राज्य सरकारों को निधि जारी करने और पीएफएमएस के माध्यम से निधि के उपयोग की निगरानी करने को निर्धारित करता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और निधि दोहराव को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने दिनांक 16.12.2020 के सम संख्या के पत्र के माध्यम से सीएसएस के तहत निधियां जारी करने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया का मसौदा सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया था ताकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया और प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन किया गया है। अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई 2021 से सीएसएस के अंतर्गत निधियों के जारी करने और उपयोग की निगरानी के संबंध में सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

(1) प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए राज्य सरकार द्वारा सरकारी कामकाज करने के लिए प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

(2) अम्ब्रेला स्कीमों के मामले में, जिनमें कई उप-स्कीमें हैं, यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकारें पृथक एकल नोडल खातों के साथ अम्ब्रेला स्कीम की उप-स्कीमों के लिए अलग-अलग एसएनए नामित कर सकती हैं।

(3) कार्यान्वयन एजेंसियों (एलएस) को ऊपर से नीचे तक एसएनए के खाते का उपयोग उस खाते के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित आहरण सीमाओं के साथ करना चाहिए। हालांकि, संचालन आवश्यकताओं के आधार पर, आईएएस की प्रत्येक योजना के लिए जीरो-बैलेंस सहायक खाते भी चयनित बैंक की एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में खोले जा सकते हैं।

(4) सभी जीरो बैलेंस सहायक खातों में संबंधित एसएनए द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और जब भी लाभार्थियों, विक्रेताओं आदि को भुगतान किया जाना है, योजना के एकल नोडल खाते से रियल टाइम के आधार पर आहरित किया जाएगा। उपलब्ध आहरण सीमा उपयोग की सीमा तक कम हो जाएगी।

(5) मंत्रालय/विभाग प्रत्येक सीएसएस के केंद्र के हिस्से को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में राज्य सरकार के खाते में जारी करेंगे ताकि एसएनए के खाते में आगे जारी किया जा सके।

(6) योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और कार्यान्वित एजेंसियों का जीरो बैलेंस सहायक खाता खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से अधिकार प्राप्त करने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वित एजेंसी अपने खातों में पड़ी सभी अप्रयुक्त राशि एसएनए के एकल नोडल खाते को वापस कर देंगे। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सभी आईएएस द्वारा व्यय नहीं की गई पूरी निधि संबंधित एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए। इसके लिए, राज्य सरकारें तौर-तरीकों और समय सीमा पर काम करेंगी और आईएएस के पास उपलब्ध राशि में केंद्र और राज्य के हिस्से की व्यवस्था करेंगी।

(7) मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सीएसएस के तहत रिलीज जमीन स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सख्ती से की जाए, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के पास सामग्री का कोई दोहराव न हो।

(8) राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एसएनए के खाते में स्थानांतरित कर देगी। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्से को व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते या किसी अन्य खाते में नहीं भेजा जाएगा। तदनुरूप राज्य का हिस्सा यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए जो कि केन्द्रीय हिस्सा जारी किए जाने के 40 दिनों से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक सीएसएस के एकल नोडल खाते में एसएनए द्वारा निधियों का रखरखाव किया जाएगा। राज्य सरकारें/एसएनए/आईए, योजना के तहत वास्तविक भुगतान को छोड़कर किसी अन्य बैंक खाते में योजना से संबंधित निधियों का अंतरण नहीं करेंगे।

(9) राज्य सरकारें पीएफएमएस पर एसएनए और सभी आईए को पंजीकृत करेंगी और उन्हें सभी भुगतानों के लिए एसएनए और आईएएस को सौंपी गई अद्वितीय पीएफएमएस आईडी का उपयोग करेंगी। एसएनए, आईए विक्रेताओं और धनराशि प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों के बैंक खातों को भी पीएफएमएस में पंजीकृत किया जाएगा।

(10) मंत्रालय/विभाग राज्य कोषागार से एसएनए को निधि (केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा) जारी करने, एसएनए और आईए द्वारा निधियों के उपयोग और प्रत्येक सीएसएस के लक्ष्यों की तुलना में आउटपुट/परिणामों की मासिक समीक्षा करेंगे।

दिशानिर्देशों में उपर्युक्त प्रावधान के आंशिक संशोधन में, समिति ने पाया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र के हिस्से के साथ-साथ राज्य के अनुरूप राज्य के हिस्से को एसएनए खाते में स्थानांतरित करेगी।

इसके अलावा, एसएनए खाते में केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी पर 01.04.2023 से 7% प्रति वार्षिक दर से ब्याज वसूलने का निर्णय

लिया गया है। पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए कार्यालय भारत की संचित निधि में संबंधित राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक ब्याज जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा।"

2.4 राज्यों को निधियों के संवितरण की प्रणाली में परिवर्तन के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

"भारत सरकार में वित्त मंत्रालय की सोच थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत एफिशिऐंटली अपने फंड्स यूज़ नहीं कर रही है। हम अपनी स्कीम्स से पैस देते जा रहे हैं, लेकिन उनकी एकाउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। उनका भी ऑनलाइन सिस्टम है और हमारा भी ऑनलाइन है, तो पिछले दो साल रीकंसिलिएशन बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोग जस्ट इन-टाइम रिलीज़ करें । हमारा जो पैसा पड़ा हुआ है, प्रोजेक्टवाइस आप उसका कम से कम ७५ प्रतिशत खर्च कर ले, तभी हम दोबारा उसकी पूर्ति करेंगे। इसी फ़िलॉसफ़ी से अब वित् मंत्रालय चल रहा है। इससे सभी मंत्रालयों में आपको यह दिक्कत सुनने में आएगी कि कुछ स्कीम्स के लिए एक सेंट्रल नोडल एजेंसी बननी है और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हमारी टाईअप है, जहाँ पैसा शेयरिंग होती है- 60 प्रतिशत हमारा और 40 प्रतिशत उनका होता है, वहाँ यह दिक्कत सुनने में आएगी।"

2.5 क्या वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 6,234.00 करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में 3,097.60 करोड़ रुपये का आवंटन मंत्रालय की योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त है, इस बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित 3097.60 करोड़ रुपये की राशि मंत्रालय की चल रही योजनाओं को महवपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी। एक बार, व्यय की गति पर्याप्त होने पर, मंत्रालय पूरक स्तर पर अधिक धनराशि की मांग करेगा"।"

2.6 इस संबंध में, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:-

".....वित्त विभाग का एक नया सिस्टम आया है, जिसे सीएनए और एसएनए बोलते हैं। इसके तहत हम एक स्कीम का उदाहरण लेते हैं। हमारे बजट में जो 80 प्रतिशत बजट है, वह दो स्कीम्स पर आधारित है। एक स्कॉलरशिप है और हमने स्कॉलरशिप पर काफी

विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा एक पीएमजेवीके है। पीएमजेवी के एक सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस में 60:40 का रेश्यो होता है। अब वित्त विभाग का जो नया रूल आया है, चूँकि पहले यह होता था कि भारत सरकार का बहुत सारा पैसा राज्यों को जाता था और राज्य सरकार भारत सरकार का पैसा या तो बैंक में डाल देती थी या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को दे देती थी या ट्रेसरी में रख देती थी और उस को अपने हिसाब से खर्च करती थी। भारत सरकार चाहती थी कि जो पैसा हम इनको दें, उसमें हम जस्ट इन टाइम का मैथड अपनाए। उसके तहत जो एग्जिस्टिंग पैसा राज्यों में है, आज की डेट में मैं आप को बताना चाहूंगा कि लगभग 2500 करोड़ रुपये हमारे एसएनए अकाउंट्स में है, जोकि स्टेट्स में है। यह हर रोज बदलता रहता है। हमें ऑनलाइन डेटा मिलता रहता है। डिपेंडिंग ऑन डिस्बर्समेंट, इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। बहुत से स्टेट्स अपना शेयर नहीं देते हैं। अगर 60:40 का रेश्यो है तो 60 परसेंट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन वे अपना 40 परसेंट का रेश्यो नहीं देते हैं। भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि आप पहले अपने एंटायर स्टेट शेयर को एसएनए अकाउंट में डालिए, तब हम आपको आगे पैसा देंगे"।

2.7 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय 2022-23 में उनके पास बचे समय में शेष निधि से कितना खर्च करने की उम्मीद करता है, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि:

"हमारा 90 % तक खर्च का अनुमान है और उसको नोट भी किया जा सकता है। 90% आरई हम खर्च कर लेंगे।"

2.8 राज्यों के पास शेष धनराशि को खर्च करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"लगभग दो महीने के लिए हमने सभी राज्यों के साथ वीसीज की हैं, सभी वीसीज की राज्यवार प्रोसिडिंग्स हमारे पास है, जिसे हम समिति से शेयर कर लेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से चार राज्यों- झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र का दौरा किया है और मैने फील्ड में जाकर योजनाएं देखी हैं।"

2.9 मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में क्या नीतिगत बदलाव किए जाने की संभावना है, यह पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:-

"सीखो और कमाओ ,विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन तथा प्रशिक्षण )यूएसटीटीएडी), हमारी धरोहर नई मंजिल और नई रोशनी योजनाओं को बंद कर दिया गया है और एकीकृत प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन )पीएम विकास (के तहत घटकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नई योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। बेगम हजरत महल छात्रवृति योजना )बी एचएमएसएस) को मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।"

2.10 यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले वर्ष में कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है और 2023-24 में बंद किए जाने की संभावना है, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:-

"वित्तीय वर्ष 23-2022से मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृति )एमएएनएफ), पढ़ो परदेश ,नया सवेरा ,नई उड़ान योजना और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति योजना कक्षा I से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए बंद कर दी गई है।"

**2.11 समिति नोट करती है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2020–21 में 3998.57 करोड़ रुपये और 2021–22 में 4325.24 करोड़ रुपये खर्च किए थे, हालांकि, वे 13 फरवरी, 2023 तक 2022–23 में केवल 668.42 करोड़ रुपये खर्च कर पाए हैं। समिति समझती है कि 2022–23 में कम व्यय का कारण 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम (पीएमजेवीके)' योजना में कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के पास 2700 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि है। चूंकि पीएफएमएस में नई अपनाई गई एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली के तहत इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तब तक धन जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि को खर्च नहीं किया जाता है और उनके द्वारा इसका समाधान नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र रूप से पी एम जे वी के के लिए कम व्यय हुआ है। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की गहन जांच के कारण कौशल योजना के तहत किए गए बजटीय आवंटन को 235.00 करोड़ रुपये से घटाकर 100. 00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि छात्रवृत्ति योजना में 100 प्रतिशत व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि इस तरह के धन का एक बड़ा हिस्सा एक वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च किया जाता है। मंत्रालय, हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत तक संशोधित अनुमान का 90 प्रति□ात खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए समिति आशान्वित है। 2023–24 के बजटीय अनुमान के संबंध में, समिति ने पाया कि 2020–21 में 5029.**

00 करोड़ रुपये, 2021–22 में 4810.77 करोड़ रुपये और 2022–23 में 5020.50 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में इसे घटाकर 3097.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्हें सूचित किया गया है कि आवंटन से अधिक व्यय के मामले में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर 2023–24 में अधिक धनराशि की मांग करेगा। समिति आशा करती है कि एक बार शुरुआती समस्याएं समाप्त हो जाने के बाद, मंत्रालय एसएनए प्रणाली के नए तंत्र को अपनाने के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होगा, क्योंकि इससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की जवाबदेही बढ़ेगी और विवेक के साथ वित्तीय औचित्य सुनिश्चित होगा। । इसलिए, वे अनुशंसा करते हैं कि मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई और मार्गदर्शन जारी रखा जाए ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जल्द से जल्द एसएनए की स्थापना की जा सके और अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण की योजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय 2022–23 में संशोधित अनुमान का 90 प्रतिशत खर्च करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वे यह भी चाहेंगे कि मंत्रालय सभी योजनाओं को समय पर लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए ताकि 2023–24 के लिए आवंटित धन का भी विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके।

## अध्याय- तीन

## छात्रवृति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः-

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और

(iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

3.2 इन छात्रवृति योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल का एक नया एवं नवीकृत रूपांतरण (एनएसपी - 2.0) 2016-17 के दौरान आरंभ किया गया है। इस मंत्रालय की उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृतियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं।

### मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

3.3 अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित की गई थी। भारत में किसी सरकारी/मान्यता-प्राप्त प्राइवेट स्कूल में कक्षा I से X में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना के अंतर्गत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अलावा प्रत्येक वर्ष 30 लाख नई छात्रवृतियां प्रदान की जाती है। 30% छात्रवृतियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक चुने गए छात्र को 1000/- रु. से 10,700/- रु. तक की छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए 1350.99 करोड़ रुपये जारी किए गए और 57.11 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं और 2022-23 के दौरान 31.12.2022 तक 44.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

**मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

3.4 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत नवम्बर, 2007 में की गई थी। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत में आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित किसी सरकारी/ मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक चुने गए छात्र को 2300/- रु. से 15,000/- रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, वे योजना के अधीन छात्रवृति पाने के पात्र हैं। नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नई छात्रवृतियां प्रदान की जाती हैं। 30% छात्रवृतियां बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 411.87 करोड़ रुपये जारी किए गए और 7.20 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं और 2022-23 के दौरान 31.12.2022 तक 29.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

**मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना**

3.5 ये छात्रवृत्तियां उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता-प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

3.6 वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय अनुमान और लक्ष्यों के साथ वर्ष 2022-23 के लिए उपर्युक्त योजनाओं के तहत उपलब्धियों सहित बजटीय आवंटन/लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

करोड़ रुपये में

| योजना | 2020-21 | | | | 2021-22 | | | | 2022-23 | | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बीई | आरई | एई | लक्ष्य/उपलब्धि | बीई | आरई | एई | लक्ष्य/उपलब्धि | बीई | आरई | एई | लक्ष्य/उपलब्धि | बीई | लक्ष्य | बजटीय प्रस्ताव |
| मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 1330.00 | 1330.00 | 1325.54 | 30 लाख + नवीकरण /52.40 लाख | 1378.00 | 1378.00 | 1350.99 | 30 लाख + नवीनीकृत/ 57.11 लाख | 1425.00 | 556.82 | 44.04 | 5.60 लाख (नया)+ नवीनीकृत / अभी पूरा नहीं हुआ है | 433.00 | 5.60 lलाख (नया + नवीनीकृत | 1700.00 |
| मैट्रिकोत्तर | 535.00 | 535.00 | 512.81 | 5 लाख/ 6.63 लाख | 468.00 | 468.00 | 411.87 | 5 लाख / 7.2 लाख | 515.00 | 515.00 | 29.04 | 6.50 लाख / अभी पूरा | 1065.00 | 6.5 लाख | 570.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्रवृत्ति | | | | | | | | | | | | नहीं हुआ है | | (नया) + नवीनीकृत ।) | |
| मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति | 400.00 | 400.00 | 396.34 | 0.60 लाख + नवीनीकृत /1.20 । लाख | 325.00 | 325.00 | 345.77 | 0.60 लाख + नवीनीकृत/ 1.32 लाख | 365.00 | 358.02 | 34.87 | 750 नवीनीकृत/ प्रस्तावों पर काम चल रहा है | 44.00 | 750 नवीनीकृत । | 425.00 |

3.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि 2007-08 से 2021-22 के दौरान, मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी की संख्या निम्नानुसार है:

| योजना | बौद्ध | ईसाई | मुस्लिम | सिक्ख | पारसी | जैन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 23,09,225 | 83,13,595 | 5,45,42,661 | 51,37,351 | 12,217 | 4,58,771 |
| मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 60,212 | 10,74,005 | 70,75,333 | 8,06,268 | 1378 | 1,22,370 |
| मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति | 6105 | 2,08,164 | 62,62,4732 | 60,24,681 | 13,742 | 31,346 |

3.8 छात्रवृत्ति जारी करने के लिए निर्धारित समय के बारे में पूछे जाने पर, समिति को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा साक्ष्य के दौरान समझाया गया था कि:

> "नवंबर माह तक सभी आवेदन प्राप्त होते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, टू लेवल वैरीफिकेशन होता है। अगर स्कूल या कॉलेज है, तो वहां भी वैरिफिकेशन होता है। उसके बाद जिला या राज्य स्तर पर भी वैरिफिकेशन होता है। वह सब कुछ ऑन लाइन होता है। फाइनली बच्चों को जो एक्चुअल पेमेंट होता है।"

3.9 चूंकि छात्रवृत्तियां मार्च में दी जाती हैं, इसलिए समिति ने यह पूछा कि छात्रों द्वारा खर्च कैसे वहन किया जाता है, इस पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"चूंकि उनको आखिरी क्वॉर्टर में पैसा मिलता है, तो जो परिवार होते हैं , पहले वे अपनी जेब से खर्च करते हैं।"

3.10 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नियमों/शर्तों को व्याख्यायित करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"उपरोक्त 3 योजनाओं को निम्नलिखित व्यापक विशेषताओं के साथ 2022-23 से 2025- 26 के दौरान कार्यान्वयन और जारी रखने के लिए प्रस्तावित किया गया है:
क) माता-पिता की वार्षिक आय में संशोधन:
ख) छात्रवृत्ति मानदंड की दरों का युक्तिकरण;
ग) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र/समुदाय-वार लक्ष्यों के वार्षिक आवंटन में संशोधन;
घ) कुल छात्रवृत्ति आवंटन के 30% से 50% तक छात्राओं के लिए आवंटन में वृद्धि।"

3.11 2022-23 से छात्रवृत्ति केवल कक्षा IX और X के छात्रों के लिए सीमित कर दी गई है, इसके कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज को केवल कक्षा IX और X तक सीमित करने का सरकार का निर्णय बहुत ही ठोस कारणों पर आधारित है। सबसे पहले ,प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत के बराबर है और इन स्तरों पर छात्रों को पहले से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कवर किया गया है।

इसके अलावा ,अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज को अनुसूचित जातियों ,अनुसूचितजनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे अन्य लक्षित समूहों के लिए लागू समान योजनाओं के साथ सुसंगत बनाने की आवश्यकता थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना से कक्षा I-VIII को बंद करने और उच्च कक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों , विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है , जिससे उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।"

3.12 मंत्रालय 31 दिसंबर, 2022 तक बहुत कम खर्च करने में सक्षम रहा है, इसके कारणों और चालू वित्त वर्ष में शेष राशि को खर्च करने के लिए क्या पहल की गई है, के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

"यह बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं के कार्यान्वयन की अंतर्निहित संरचना ऐसी है कि योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के (एनएसपी) अगस्त के दौरान पात्र -जो वित्तीय वर्ष के जुलाई ,माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है त करता है और पोर्टल संस्लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रिथान के नोडल अधिकारी और राज्यदिसंबर -जिला नोडल अधिकारियों के स्तर पर दो स्तरीय सत्यापन के साथ नवंबर/ फरवरी तक जारी रहता है। इस कार्यान्वयन -जो वर्ष के जनवरी ,में बंद हो जाता है मार्च के महीनों में किया अधिकांश छात्रवृति का भुगतान फरवरी और ,प्रक्रिया के कारण जाता है।"

3.13 वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत कम आवंटन को उचित ठहराने, विशेष रूप से जब दोनों वर्षों के लक्ष्य समान हैं, के लिए पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति के वास्तविक लक्ष्य केवल नए आवेदकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि वित्तीय आवंटन में नए और नवीकरण आवेदन दोनों शामिल हैं। 23-2022के दौरान ,छात्रवृति प्रदान करने के लिए नए आवेदनों के साथ कक्षा IX के नवीनीकरण आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि 24-2023 ,में ,कक्षा IX के लिए कोई नवीनीकरण आवेदन नहीं होगा और केवल नए आवेदनों पर विचार किया जाएगा।"

3.14 मंत्रालय के 1065.00 करोड़ रुपये के बजटीय प्रस्ताव की तुलना में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत दी गई निधियों के उपयोग के संबंध में, विशेष रूप से जब वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य बहुत कम है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के वास्तविक लक्ष्य को अनजाने में 6.50 लाख के स्थान पर 5 लाख बताया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक लक्ष्य के समान है। बजटीय आवंटन मुख्य रूप से दो कारणों से बढ़ा है (1) छात्रवृति दरों में संशोधन और (i) मैट्रिकोतर घटक के तहत पेशेवर/तकनीकी यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए गैर-सूचीबद्ध संस्थानों को शामिल करना।"

3.15 ऐसे कौन से करण हैं जिनके करण वर्ष मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के तहत निर्धारित लक्ष्य 2023-24 के लिए कम हो गया और बजटीय आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया, साथ ही कार्यक्रम के तहत संस्थान के लिए निर्धारित मानदंड सहित संस्थान के चयन, के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:-

> "उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 और वित वर्ष 2023-24 में मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृति के वास्तविक लक्ष्यों को अनजाने में क्रमश: 0.75 लाख और 0.60 लाख बताया गया है। जबकि दोनों वर्षों के लिए वास्तविक लक्ष्य 750 है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 में 358.02 करोड़ रुपये (आरई) से कम होकर बजट अनुमान 2023-24 में 44.00 करोड़ रुपये हो गया है।"

3.16 इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान अस्वीकार किए गए आवेदनों और इस संबंध में किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने समिति को लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:-

> "3 छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का योजना-वार और वर्ष-वार विवरण निम्नवत है:

| **योजना** | **नई** | **नवीकरण** |
|---|---|---|
| | **निर्धारण वर्ष 2021-22** | |
| प्री-मैट्रिक | 3,58,026 | 41,133 |
| पोस्ट मैट्रिक | 1,97,052 | 5,502 |
| एमसीएम | 24,727 | 1,019 |
| **योजना** | **निर्धारण वर्ष 2020-21** | |
| प्री-मैट्रिक | 5,80,291 | 76,954 |
| पोस्ट मैट्रिक | 1,56,084 | 8,872 |
| एमसीएम | 50,324 | 3,859 |
| योजना | **निर्धारण वर्ष 2019-20** | |
| प्री-मैट्रिक | 5,34,426 | 31,780 |
| पोस्ट मैट्रिक | 1,37,230 | 4,914 |
| एमसीएम | 50,099 | 3,493 |
| योजना | **निर्धारण वर्ष 2018-19** | |
| प्री-मैट्रिक | 4,82,838 | 22,889 |
| पोस्ट मैट्रिक | 2,32,623 | 5,161 |

| योजना | नई | नवीकरण |
|---|---|---|
| एमसीएम | 84,593 | 2,081 |
| योजना | **निर्धारण वर्ष 2017-18** | |
| प्री-मैट्रिक | 89,622 | 20,808 |
| पोस्ट मैट्रिक | 56,669 | 5,173 |
| एमसीएम | 19,245 | 2,229 |

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई उपाय करता है, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:-

क. सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय स्तर पर शिविरों के माध्यम से/3 छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया जाता है।

ख. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एनआईसी को सत्यापन प्रक्रिया आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईएनओ लॉगिन में एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने का भी सुझाव है।

ग. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से सरपंचों और एनआईसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जिला कलेक्टरों को एसएमएस/संदेश भेजकर छात्रवृत्ति योजनाओं का विज्ञापन भी करता है।"

**3.17** समिति को यह जानकर खुशी हुई कि तीन छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात, मंत्रालय द्वारा लागू प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और योग्यता–सह–साधन छात्रवृत्ति योजना को **2025–26** तक जारी रखने का प्रस्ताव है और **2020–21** और **2021–22** में इन योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या क्रमशः **60.23** लाख और **65.63** लाख थी। समिति का मानना है कि शिक्षा किसी भी समुदाय को सशक्त और विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है और इसलिए सरकार को इस दिशा में सभी प्रयास करने चाहिए। समिति को भरोसा है कि छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम अर्थात माता–पिता की वार्षिक आय में संशोधन, छात्रवृत्ति की दरों का युक्तिकरण, वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/समुदाय–वार आवंटन में संशोधन और लक्ष्य में वृद्धि समग्र छात्रवृत्ति आवंटन के लिए छात्राओं को **30** प्रतिशत से **50** प्रतिशत तक निर्धारित करना, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित गरीब से गरीब छात्रों को शिक्षित करने में एक

महत्वपूर्ण योगदान देगा । लाभार्थियों के कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए, समिति एक गहन जागरूकता अभियान और आवेदन भरने में किसी भी कठिनाई का सामना करने पर छात्रों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की भी सलाह देती है, ताकि इससे आवेदनों की अस्वीकृति को कम किया जा सके। विशेष रूप से माता–पिता की वार्षिक आय में संशोधन, छात्रवृत्ति दर के युक्तिकरण आदि के संबंध में समिति मंत्रालय से सभी मुद्दों को अंतिम रूप देने का भी आग्रह करेगी। समिति मंत्रालय से इस बात की जांच करने की भी सिफारिश करती है कि क्या लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन भरने की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी शुरू की जा सकती है ताकि लाभार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति राशि मिल सके।

## अध्याय - चार

## प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

मंत्रालय ने 2022-23 से मंत्रालय की मौजूदा पांच योजनाओं में से- सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को मिलाकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) नामक एक नई एकीकृत अम्ब्रेला योजना तैयार की है। हालांकि, इस योजना को अभी शुरू किया जाना है।

4.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-विकास संबंधी योजनाओं का बजटीय आवंटन:-

**(रू. करोड़ में)**

| | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **बीई** | **आरई** | **एई** | **बीई** | **आरई** | **एई** | **बीई** | **आरई** | **एई** | **बीई** |
| 1. कौशल विकास पहल | 250.00 | 190.00 | 190.03 | 276.00 | 250.00 | 268.48 | 235.41 | 100.00 | 28.92 | 0.10 |
| 2. उस्ताद | 60.00 | 60.00 | 56.74 | 60.00 | 60.00 | 76.68 | 47.00 | 47.00 | 10.61 | 0.10 |
| 3. नई मंजिल | 120.00 | 60.00 | 59.84 | 87.00 | 47.00 | 48.86 | 46.00 | 20.00 | 7.08 | 0.10 |
| 4. अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 2.50 | 2.99 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 0.10 |
| 5.पीएम-विकास | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 540.00 |
| **कुल** | **440.00** | **316.00** | **312.61** | **431.00** | **359.50** | **397.01** | **330.91** | **169.00** | **46.86** | **540.40** |

4.3 अभिसरण योजनाओं के वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

| **वर्ष/ योजना का नाम** | **आरई करोड़ रुपये में** | **एई करोड़ रुपये में** | **प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या** |
|---|---|---|---|
| **सीखो और कमाओ योजना:** | | | |
| 2018-19 | 250.00 | 175.73 | 1,00,534 |

| वर्ष/ योजना का नाम | आरई करोड़ रुपये में | एई करोड़ रुपये में | प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 250.00 | 175.52 | 81,222 |
| 2020-21 | 190.00 | 190.03 | 22,817 |
| 2021-22 | 250.00 | 268.48 | - |
| 2022-23 10.02.2023 तक | 100.00 | 28.92 | - |
| **उस्ताद योजना:** | | | |
| 2018-19 | 50.00 | 31.26 | 7,393 |
| 2019-20 | 60.00 | 54.48 | - |
| 2020-21 | 60.00 | 56.74 | - |
| 2021-22 | 47.00 | 76.68 | - |
| 2022-23 10.02.2023 तक | 47.00 | 10.61 | - |
| **नई मंजिल योजना:** | | | |
| 2018-19 | 120.00 | 93.73 | - |
| 2019-20 | 100.00 | 34.44 | - |
| 2020-21 | 60.00 | 59.84 | - |
| 2021-22 | 47.00 | 48.86 | - |
| 2022-23 10.02.2023 तक | 20.00 | 7.08 | - |
| **नई रोशनी योजना:** | | | |
| 2018-19 | 17.00 | 13.83 | 50,600 |
| 2019-20 | 10.00 | 7.10 | 26,625 |
| 2020-21 | 6.00 | 6.00 | 13,675 |
| 2021-22 | 2.50 | 2.99 | - |
| 2022-23 10.02.2023 तक | 2.00 | 0.25 | - |

4.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में आगे बताया कि:

"सीखो और कमाओ योजना के तहत 2020-21 के बाद और यूएसटीडीएडी योजना के तहत 2018-19 के बाद कोई नया लक्ष्य आवंटन नहीं किया गया। जबकि उस्ताद योजना के तहत हुनर हाट का आयोजन किया गया था। नई मंजिल योजना जून 2021 में संपन्न हुई थी।

पिछले वर्षों में किए गए प्रशिक्षण की पिछली देनदारियों पर किया गया व्यय एई में परिलक्षित हो रहा है।"

4.5 पीएम-विकास के साथ इनके अभिसरण के बाद इन योजनाओं को नुकसान न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और उनके अभिसरण के कारणों के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"व्यय विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन और नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, योजनाओं को एक एकीकृत पीएम विकास योजना में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था कि उद्देश्यों की कोई ओवरलैपिंग न हो, और विभिन्न योजनाओं के विभिन्न घटकों में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

पीएम विकास योजना के निम्नलिखित 4 घटक हैं:

क) घटक 1 - कौशल और प्रशिक्षण (पूर्ववर्ती सीखो और कमाओ, उस्ताद और हमारी धरोहर योजना)

ख) घटक 2 - महिला नेतृत्व और उद्यमिता (पूर्व में नई रोशनी)

ग) घटक 3 - स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा सहायता (पूर्ववर्ती नई मंजिल योजना)

घ) घटक 4 - अवसंरचना विकास (पीएमजेवीके योजना का लाभ उठाकर)

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा पीएम विकास योजना के तहत घटक-वार आवंटन किए गए हैं, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए, किसी भी घटक

के प्रमुख घटकों के साथ दबे होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रत्येक योजना (जिसे एक घटक के रूप में शामिल किया गया है) के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।"

4.6 पीएम-विकास योजना की मुख्य विशेषताओं और योजना के संचालन के लिए तय तौर-तरीकों के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य के मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:

"बाजार और क्रेडिट लिंकेज को सुगम बनाकर रोजगार क्षमता में सुधार करना और लक्षित समूह के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना को अभी शुरू किया जाना है और संचालन के तौर-तरीकों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।"

4.7 योजना के कार्यान्वयन के लिए पीआईए के चयन और पीएम-विकास के संबंध में कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मापदंडों के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:

"योजना कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और पीआईए को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, मंत्रालय पीआईए के चयन और पैनल में शामिल होने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित है कि पीआईए का चयन तकनीकी और वित्तीय शक्ति के आधार पर किया जाएगा, जिसमें औसत वार्षिक कारोबार, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या, समान कौशल विकास/आजीविका सृजन पहल आयोजित करने का अनुभव, आयोजित प्रशिक्षणों के संदर्भ में पिछले प्रदर्शन और नौकरियों में रखे गए लाभार्थियों आदि जैसे मानदंड शामिल हैं। पीआईए के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।"

4.8. इस योजना को सफल बनाने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित निगरानी तंत्र के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"क) मंत्रालय ने योजना की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक तृतीय-पक्ष एजेंसी को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इस एजेंसी को पीआईए द्वारा रिपोर्ट किए गए प्लेसमेंट डेटा को सत्यापित करने का काम भी सौंपा जाएगा।

ख) मंत्रालय योजना के डेटा प्रबंधन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करने और उसका लाभ उठाने का प्रस्ताव करता है।

ग) राज्य सरकार और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

घ) उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक उपस्थिति विधिवत चिह्नित और रिकॉर्ड करना; और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी नामांकित लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण जारी रखा जाएगा।

ड़) समग्र प्रशिक्षण पर लाभार्थियों की सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के पास एक इन-हाउस मोबाइल फीडबैक ऐप है।

च) नीति आयोग द्वारा विकसित आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से मंत्रालय सक्रिय रूप से निगरानी में भाग लेता है जिसमें आउटपुट और परिणामों की निगरानी के लिए संकेतक शामिल हैं। ओएमएफ ढांचे का लाभ उठाकर पीएम विकास की निगरानी करने का प्रस्ताव है।

छ) मंत्रालय योजना के ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल पर डेटा और दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रगति की निगरानी और ट्रैक करने और यदि कोई प्रश्न है हो तो पूधताछ के लिए पीआईए के साथ आवधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित करता है।

ज) वर्तमान में, मंत्रालय प्रयासों के दोहराव से बचने और सरकारी निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की अन्य योजनाओं की तुलना में योजना लाभार्थियों के डी-डुप्सीकेशन की  जांच करता है। इसे पीएम विकास योजना में भी लागू करने का प्रस्ताव है।

झ) मंत्रालय ने उन पीआईए को कारण बताओ नोटिस/अनंतिम काली सूची में डालने/काली सूची में डालने का आदेश जारी करना भी शुरू कर दिया है जो मंत्रालय

द्वारा जारी योजना दिशा-निर्देशों/अधिदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसे नई योजना के तहत कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।"

4.9 इस योजना को कार्यात्मक बनाने के लिए तय की गई समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"नई योजना के तौरतरीकों पर वर्तमान में काम किया जा रहा है और योजना के - दिशानिर्देश तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।"

**4.10** समिति नोट करती है कि 2022–23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मौजूदा पांच योजनाएं अर्थात, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम–विकास) योजना में शामिल किया गया है, ताकि उद्देश्यों में किसी तरह के दोहराव को रोका जा सके और विभिन्न घटकों में बेहतर तालमेल हासिल किया जा सके। समिति ने पाया कि 2022–23 के लिए 330.91 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से मंत्रालय 46.86 करोड़ रुपये खर्च कर सका और 2023–24 के लिए योजना के तहत अब 540.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति का अनुमान है कि सभी योजनाओं के पूरी तरह से पीएम–विकास योजना के तहत आने के बाद सभी उप–योजनाओं के संबंध में व्यय में वृद्धि होगी। चूंकि एकीकृत योजना के तौर–तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, समिति उम्मीद करती है कि पिछले वर्षों में पूर्ववर्ती पांच योजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय द्वारा देखी गई सभी कमियों का ध्यान रखा जाए, ताकि किसी और बदलाव की आवश्यकता न हो, जो विलय की गई योजना के चालू होने के बाद महसूस किया जाये। समिति यह भी आग्रह करती है कि वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई निगरानी प्रणाली कुशल और प्रभावी होनी चाहिए। साथ ही एक उचित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति सावधानी से की जा सके। इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि पीएम–विकास के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और एसओपी तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाए और योजना के पूर्ण कामकाज के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं ताकि 2023–24 के लिए योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आवंटित धन का उपयोग किया जा सके। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा अपने कार्यवाही टिप्पणों में लिए गए कदमों की सूचना दी जानी चाहिए।

## अध्याय - पांच

## प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) जिसे पूर्व में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण योजना के रूप में पहचानी गई केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएमजेवीके योजना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और राष्ट्रीय औसत की तुलना में असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को वर्ष 2022 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से संशोधित किया गया है ताकि इसे 15वें वित्त आयोग चक्र यानी 2025-26 तक जारी रखा जा सके। यह योजना अब सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इससे पहले, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) की पहचान चिह्नित किए गए संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और पिछड़ेपन के आधार पर की गई थी। पीएमजेवीके के तहत कवर किए गए क्षेत्रों को मूल रूप से 90 जिलों से बढ़ाकर मई, 2018 से 33 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 308 जिलों तक कर दिया गया था। एमसीए में 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी), 321 अल्पसंख्यक बहुल कस्बे (एमसीटी) और 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालय (एमसीडी मुख्यालय) शामिल हैं।

5.2 ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच निधियों की 90:10 के अनुपात में हिस्सेदारी व्यवस्था पर कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार के संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। पीएमजेवीके योजना के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की किस्मों में मुख्यतः एमसीए की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्रस्तावित आवासीय स्कूल, नए स्कूल भवन, कॉलेज भवन, छात्रावास, अतिरिक्त कक्षा कमरे, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट क्लास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कामकाजी महिला हॉस्टल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं, सामान्य सेवा केंद्र, सद्भाव मंडप, स्वच्छता परियोजनाएं, बाजार शेड, हुनर हब, खेल सुविधाएं आदि हैं। इस कार्यक्रम के अधीन संसाधनों का कम से कम 80% शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए आबंटित किया

जाता है। संसाधनों का कम से कम 33-40% महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है।

5.3 वर्ष 2023-24 के बजटीय अनुमान के साथ-साथ 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और लक्ष्य/उपलब्धि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

| 2020-21 | | | | 2021-22 | | | | 2022-23 | | | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **बजट अनुमान** | **संशोधित अनुमान** | **वास्तविक व्यय** | **लक्ष्य/उपलब्धि** | **बजट अनुमान** | **संशोधित अनुमान** | **वास्तविक व्यय** | **लक्ष्य/उपलब्धि** | **बजट अनुमान** | **संशोधित अनुमान** | **वास्तविक व्यय** | **लक्ष्य/उपलब्धि** | **बजट अनुमान** | **लक्ष्य** |
| 1600.00 | 971.38 | 1091.94 | 1342.51 करोड़ रु. की केंद्रीय राशि सहित 1821.28 करोड रुपए की राशि की परियोजना स्वीकृत। ₹1091.94 करोड़ की राशि जारी की गई। प्रस्ताव अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, संसाधित किए जा रहे हैं। | 1390.00 | 1199.55 | 1266.87 | 1411.64 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 2009.41 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। 1266.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। | 1650.00 | 500.00 | 187.12 (15.02.2023 तक) | निधियां अभी जारी की जानी हैं | 600 | पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां जारी करने हेतु ब्लॉक कस्बों शहरों/गांवों की योजनाओं के अनुमोदन पर विचार करना। |

5.4 2022-23 में बजट अनुमान के स्तर पर 1650.00 करोड़ रुपये से संशोधित अनुमान पर निधि आवंटन को घटाकर 500.00 करोड़ रुपये करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ योजना की शुरुआत से इसके कार्यान्वयन की स्थिति और राज्यों के पास निधि की उपलब्धता की समीक्षा की गई है। राज्य सरकार के साथ पीएमजेवीके के तहत डेटा को

सत्यापित/मिलान करने के लिए एक विस्तृत अभ्यास किया गया है। ताकि उनके पास धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकारों को निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, निधियां जारी करना परियोजनाओं से बंधा हुआ नहीं है। राज्यों के एसएनए खाते में उपलब्ध राशि एक सामान्य पूल बनेगी और राज्यों को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एसएनए खाते से व्यय करने की सलाह दी गई है। 15.02.2023 तक, राज्यों के पास उनके एसएनए खाते में अव्ययित राशि 2531.93 करोड़ रुपये थी। चूंकि, पीएमजेवीके परियोजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों के पास अव्ययित शेष की पर्याप्त राशि उपलब्ध थी, पीएमजेवीके के तहत आवंटन घटाकर आरई 2022-23 में 500 करोड़ रु. कर दिया गया है। योजना के तहत 15.02.2023 तक 187.12 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने एसएनए खाते में उपलब्ध राशि का 75% उपयोग करें और फिर आगे की धनराशि जारी करने के लिए मंत्रालय से संपर्क करें। मंत्रालय सार्वजनिक वित प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्यों द्वारा व्यय की गति और धन के उपयोग की भी समीक्षा कर रहा है।''

5.5 योजना में अव्ययित निधियों का उपयोग करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि:

''वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएमजेवीके के बजट में शेष धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार के संगठनों के प्रस्तावों पर किया जाएगा, जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं और उन राज्यों को जारी किया जाएगा जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।''

5.6 यह पूछे जाने पर कि क्या योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2023-24 के लिए बजट अनुमान पर्याप्त है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

''8 राज्य ऐसे हैं जिनके एसएनए खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है। कुछ राज्यों ने अभी तक पीएमजेवीके के तहत वित्तीय आंकड़ों का सत्यापन/समाधान नहीं किया है और यह अनुमान लगाया गया है कि राज्यों के पास खर्च न की गई राशि में और वृद्धि होगी। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे चल रही परियोजनाओं

की स्थिति की समीक्षा करें और उन परियोजनाओं को छोड़ने/ रद्द करने का प्रस्ताव दें, जो अभी तक शुरू नहीं हुई हैं और अव्यवहार्य हो गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए पहले ही जारी की गई धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा अन्य चल रही परियोजनाओं पर किया जा सकता है। राज्य द्वारा व्यय की वर्तमान गति और एसएनए खाते में उनके पास उपलब्ध राशि के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि पीएमजेवीके के लिए बीई 2023-24 चल रही परियोजनाओं के साथ ही वर्ष के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता का आरई 2023-24 चरण में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग आरई चरण में की जाएगी।''

5.7 2022-23 के लिए आवंटित धन को खर्च नहीं कर पाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान कहा कि:

"हम लोग निर्भर है कि स्टेट किस हद तक इसमें इंटरेस्ट ले और अपनी इम्प्लिमेंटेशन एजेंसी लगाए। राज्यों में भारी भिन्नता है। जैसे आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि करके बताएंगे तो चार स्टेट्स ऐसे हैं, जिनको हम पैसा दे सकते हैं। इसलिए कुछ पैसे का खर्च अनुमानित है कि 31 मार्च तक हो सकता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जिनमें फर्क बहुत है। मैं समझता हूं कि यह केवल हमारी योजना का नहीं होगा, अन्य योजनाओं में भी, राज्यों में भिन्नता होगी, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं।''

5.8 योजना के तहत बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति की चर्चा के दौरान बताया कि:

"मणिपुर, कर्नाटक, उत्तराखण्ड और नागालैण्ड हैं। ये चार स्टेट्स हैं, जिनका बिल्कुल क्लियर है और हम इनको पैसे दे सकते हैं। जब हम अगली मीटिंग करेंगे, हम उसमें पैसा दे सकते हैं। जब मैं पर्सनली स्कीम को देखता हूं तो ऑलमोस्ट रोज कोई न कोई स्टेट गवर्नमेंट से आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे असम और वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं। वहां से ऑफिसर आ रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि हम क्लियर करना चाहते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि यह स्कीम वर्ष 2008 से चल रही है। वर्ष 2008 से अब तक 11 लाख प्रोजेक्ट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की

चेष्टा यह है कि 11 लाख प्रोजेक्ट्स को हम क्लियर करें कि कितने कम्प्लीट हो गए हैं। अगर कम्प्लीट हो गए हैं तो यूटिलाइजेशन आए। जो कम्प्लीट नहीं हुए हैं तो उनका हम अकाउंट दें।"

5.9 तत्पश्चात् उन्होंने बताया कि:

"उनका लेखा-जोखा लिया गया है। पहले कभी लेखा-जोखा नहीं लिया गया है। जब इस साल एस एन ए का कॉन्सेप्ट आया तो यह हुआ कि आप हर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। उसमें जो पैसा मिला, आप उसके बारे में बताइए कि कैसे खर्च हुआ और आपने क्या किया? इसमें हमारी मिनिस्ट्री ने 60 हजार प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, जो शुरू ही नहीं हुए थे। चूंकि प्रोजेक्ट्स तीन, चार या पांच साल पहले सैंक्शन हो गए और आपने अपना पैसा खर्च नहीं किया है तो वे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। उनको यह आदेश दिया गया है कि आप यह पैसा उन प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं, ताकि जो काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, वह जल्दी खत्म हो और जो अभी शुरू ही नहीं हुआ है तथा चार साल हो गए हैं, हम उसको रद्द करते हैं।"

5.10 स्वीकृत परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, एमओएमए के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान कहा कि:

"केन्द्र सरकार का यह भी निर्देश है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जिओटैगिंग की जाए। हमने इसरो के साथ मिलकर जिओटैगिंग का भुवन नाम से ऐप बनाया है। हम हर प्रोजेक्ट्स को जिओटैग कर रहे हैं। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि 6 महीने पहले टोटल पांच लाख प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से 10 प्रतिशत ऑलरेडी जीओटैग हो गए हैं। हम ट्राई करेंगे कि अगले साल के अंत तक 100 प्रतिशत हो जाएं।"

5.11 परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अपनाए गए मानदंडों के बारे में पूछे जाने पर, एमओएमए ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर के माध्यम से जानकारी दी कि:

"राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण विभाग राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन और पीएमजेवी के दिशानिर्देशों के अनुसार घोषणा के साथ समेकित प्रस्तावों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजता है। एसएलसी से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जो प्रमाणित करे कि परियोजना स्थान के कैचमेंट एरिया में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत

वार्षिक प्रस्ताव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को सिफारिशों के लिए भेजे जाते हैं। संबंधित संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। केंद्रीय लाइन मंत्रालयों के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं। जो प्रस्ताव व्यवहार्य पाए जाते हैं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की सिफारिशों पर स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्तावों की सिफारिश करती है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की अध्यक्षता में पीएमजेवीके के तहत अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को पीएमजेवीके के तहत विचार किया है और पीएमजेवीके दिशानिर्देशों के अनुसार धन जारी किया जाता है। संशोधित पीएमजेवीके दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजेवीके के तहत राज्योंसंघ राज्य / क्षेत्रों के प्रस्तावों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाता है। इसके लिए संघ राज/राज्यों्य क्षेत्रों के पास अव्ययित शेष, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के लंबित होने, पूरी न हुई परियोजनाओं, शुरू नहीं की गई परियोजनाओं, राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों को पहले से / स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की देयता को आगे ले जाने आदि के संबंध में वेटेज दिया जाता है। पीएमजेवीके के तहत परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और राज्यसंघ राज्य क्षेत्र / निर्देशों -परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। संशोधित दिशा के अनुसार, ढांचागत संपतियों का निर्माण और संचालन राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र / प्रशासन के संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसने परियोजना का प्रस्ताव दिया है।"

5.12 कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के बारे में पूछे जाने पर, एमओएमए ने अपने लिखित उत्तर के माध्यम से जानकारी दी कि:

"कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य लोक निर्माण विभाग/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सरकार की अन्य निर्माण एजेंसियां/सीपीडब्ल्यूडी/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि हो सकती हैं। हालांकि, राज्य /केंद्र शासित प्रदेश किसी भी योग्य, प्रतिष्ठित, अनुभवी एजेंसी के माध्यम से परियोजना को निष्पादित करने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसे सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार सख्ती से होना चाहिए। पीएमजेवीके के लिए एक

नामित राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) और एसएनए का एक बैंक खाता है। राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जिन्हें राज्यों द्वारा एसएनए खाते में जमा किया जाता है।"

5.13 इस योजना की स्थापना से अब तक की उपलब्धियों और योजना के संशोधन के बाद निर्धारित रोडमैप के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"योजना की शुरुआत के बाद से यानी 2008-09 से 2021-22 तक पीएमजेवीके के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं/इकाइयों की संख्या निम्नानुसार है:

**स्थापना अर्थात (2008-09 से 2021-22) के बाद से पीएमजेवीके के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूरी दी गई अवसंरचना परियोजनाएं**

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | (कार्यों/परियोजनाओं की इकाई की संख्या) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शिक्षा क्षेत्र | स्वास्थ्य क्षेत्र | कौशल क्षेत्र | अन्य अवसंरचना |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 25 | - | 1 | 81 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 323 | 2 | 18 | 241 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 2823 | 72 | - | 8143 |
| 4 | असम | 14765 | 613 | 26 | 114550 * |
| 5 | बिहार | 8036 | 1072 | 18 | 48431 ** |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 664 | - | 3 | 326 |
| 7 | दिल्ली | 123 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | गुजरात | 115 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | हरियाणा | 890 | 44 | 8 | 2395 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | - | 1 | - | - |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | 11 | 4 | - | 4 |
| 12 | झारखंड | 595 | 395 | 18 | 12214 |
| 13 | कर्नाटक | 1691 | 44 | 4 | 6357 |
| 14 | केरल | 266 | 42 | 17 | 47 |
| 15 | लद्दाख | 64 | - | 3 | 220 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 306 | 2 | 5 | 1228 |
| 17 | महाराष्ट्र | 2239 | 40 | 14 | 12453 |
| 18 | मणिपुर | 1053 | 300 | 7 | 14682 |

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | (कार्यों/परियोजनाओं की इकाई की संख्या) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शिक्षा क्षेत्र | स्वास्थ्य क्षेत्र | कौशल क्षेत्र | अन्य अवसंरचना |
| 19 | मेघालय | 119 | 32 | 1 | 8885 |
| 20 | मिजोरम | 223 | 49 | 9 | 3170 |
| 21 | नगालैंड | 5 | 3 | - | 2 |
| 22 | ओडिशा | 284 | 36 | 6 | 10370 |
| 23 | पंजाब | 135 | 14 | - | 525 |
| 24 | राजस्थान | 2148 | 109 | 9 | 140 |
| 25 | सिक्किम | 1092 | 11 | 4 | 572 |
| 26 | तमिलनाडु | 14 | 42 | 2 | 62 |
| 27 | तेलंगाना | 587 | 9 | 2 | 61 |
| 28 | त्रिपुरा | 486 | 31 | - | 4543 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 5713 | 1170 | 148 | 125052 $ |
| 30 | उत्तराखंड | 186 | 38 | 14 | 1087 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 25544 | 1650 | 89 | 109650 $$ |
| **कुल योग** | | **70525** | **5850** | **431** | **485512** |

* 89886 आईएवाई, 20823 पेय जल परियोजनाएं, and 3400 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल।

** 41286 आईएवाई, 1845 पेय जल परियोजनाएं and 3400 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल।

$ 85304 आईएवाई, 25578 पेय जल परियोजनाएं and 12069 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल।

$$ 73519 आईएवाई, 20381 पेय जल परियोजनाएं and 14676 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल

5.14 वित्त वर्ष 2022-23 से कार्यान्वयन के लिए संशोधित पीएमजेवीके दिशानिर्देशों में योजना के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन पर बल दिया गया है जैसे कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित शेष राशि, लंबित उपयोग प्रमाण पत्र, परियोजनाएं पूरी न होना, परियोजनाएं शुरू न होना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध एमओएमए की देयता को आगे बढ़ाना आदि। संशोधित दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि 11वीं और 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद भी अनुमोदित बड़ी संख्या में अधूरी परियोजनाओं को देखते हुए मंत्रालय सभी लंबित परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति की समीक्षा करेगा और अतिदेय परियोजनाओं को छोड़ने पर विचार करेगा । 2008-2009 से 2018-19 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं की 58,000 से अधिक इकाइयां, जो शुरू नहीं हुई हैं और अव्यवहार्य हो गई हैं, उन्हें मंत्रालय द्वारा रद्द कर

/छोड़  दिया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पीएमजेवीके के तहत अन्य चालू परियोजनाओं के लिए ऐसी अव्यवहार्य परियोजनाओं/इकाइयों के लिए जारी केंद्रीय हिस्से में से 1085 करोड़ रुपये का उपयोग करें। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नई निधियों की मांग करने से पहले चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एसएनए खाते में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का उपयोग करें और केंद्र सरकार के साथ खाते का मिलान करें। एसएनए खाते से निधियों के उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 2022-23 से पीएमजेवीके योजना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, पीएमजेवीके ऑनलाइन पोर्टल को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन/संशोधित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तिमाही प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट और जमा करने में भी सक्षम होंगे।

5.15  सभी पीएमजेवीके परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग और परियोजनाओं के निर्माण/पूर्णता के विभिन्न चरणों की तस्वीरों सहित परियोजना विशिष्ट विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए एनआरएससी, इसरो के सहयोग से एक मोबाइल ऐप पीएमजेवीके भुवन विकसित किया गया है।  इससे परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी में भी मदद मिलेगी। पीएमजेवीके परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप जुलाई, 2022 में सभी राज्यों में शुरू किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिशन मोड में पीएमजेवीके परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पूरी करने का भी अनुरोध किया गया है। 15.02.2023 तक, पीएमजेवीके के तहत कार्यों की लगभग 44,000 इकाइयों को जियो-टैग किया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपनी चालू परियोजनाओं की समीक्षा करें और 15वें वित्त आयोग चक्र यानी 2025-26 तक के लिए पीएमजेवीके के तहत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करें और नई  परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना को परिप्रेक्ष्य योजना के अनुरूप संरेखित करें और परियोजनाओं की  प्राथमिकता तय करें।“

5.16  छोड़ी गई/रद्द की गई परियोजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

“राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नई धनराशि मांगने से पहले चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एसएनए खाते में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का उपयोग करें और केंद्र सरकार के साथ खाते का मिलान करें।

मंत्रालय द्वारा छोड़े गए/रद्द किए गए कार्यों की इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

| **क्रम संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **शुरू न की गई इकाइयों की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा छोड़ दिया/रद्द किया गया है** | **शुरू न की गई इकाइयों के लिए राज्यों के पास उपलब्ध कुल केन्द्रीय निधि (लाख रुपये में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 14 | 19.54 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 73 | 2686.16 |
| 3 | असम | 17749 | 9077.48 |
| 4 | बिहार | 17502 | 30509.27 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 870 | 2369.20 |
| 6 | दिल्ली | 52 | 380.25 |
| 7 | हरियाणा | 504 | 3388.54 |
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर | 4 | 34.41 |
| 9 | झारखंड | 660 | 3125.08 |
| 10 | केरल | 38 | 564.73 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 109 | 139.77 |
| 12 | महाराष्ट्र | 9 | 409.04 |
| 13 | मणिपुर | 3 | 54.99 |
| 14 | मिजोरम | 6 | 18.00 |
| 15 | ओडिशा | 3000 | 1091.25 |
| 16 | राजस्थान | 1 | 6.60 |
| 17 | तेलंगाना | 23 | 83.70 |
| 18 | त्रिपुरा | 102 | 910.80 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 12421 | 29986.46 |
| 20 | उत्तराखंड | 29 | 75.99 |

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शुरू न की गई इकाइयों की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा छोड़ दिया/रद्द किया गया है | शुरू न की गई इकाइयों के लिए राज्यों के पास उपलब्ध कुल केन्द्रीय निधि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 21 | पश्चिम बंगाल | 5296 | 23592.94 |
| **कुल योग** | | **58465** | **108524.20** |

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी अव्यवहार्य परियोजनाओं/इकाइयों के लिए जारी केंद्रीय हिस्से में से 1085 करोड़ रुपये का उपयोग पीएमजेवीके के तहत अन्य चालू परियोजनाओं के लिए करें।""

**5.17** समिति यह जानकर खुश है कि पीएमजेवीके यानी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसे पहले बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहा जाता था, को **2025–26** तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए देश के सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों में लागू किया गया है। पीएमजेवीके के लिए आवंटन के संबंध में, समिति ने नोट किया कि कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास उनके एसएनए खाते में पड़े **2531.93** करोड़ रुपये के अव्ययित शेष के कारण, **2023–24** के लिए बजटीय आवंटन को घटाकर **600** करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि एसएनए की नियुक्ति की संशोधित शर्त के साथ, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्व में आवंटित धन का उपयोग करें और उन्हें धन का आगे आवंटन किए जाने से पहले इन निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। चूंकि समिति को पता चला है कि कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग करने में चूक की है, वे चाहते हैं कि मंत्रालय संशोधित मानदंडों के अनुपालन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन करे ताकि योजना को नुकसान न पहुंचे। समिति नोट करती है कि बड़ी संख्या में परियोजनाओं का निष्पादन, उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र के तहत **70525** परियोजनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत **5850** परियोजनाएं, कौशल क्षेत्र के तहत **431** परियोजनाएं और **2008–09** में योजना की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों को स्वीकृत **48512** अन्य परियोजनाएं सराहनीय हैं। लेकिन, साथ ही विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **58465** परियोजनाओं को रद्द/छोड़ना पड़ा क्योंकि वे कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शुरू नहीं की जा सकीं या अव्यवहार्य हो गईं। समिति आशा करती है कि मंत्रालय अब ऐसी अव्यवहार्य और अपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करने में सक्षम होगा, जिसे जियो–टैगिंग ऐप विकसित करने के बाद किया

जा सकेगा और इसे पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा ताकि धन बेकार न रह जाए। समिति यह भी आशा करती है कि मंत्रालय यह देखने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी चिन्हित जिलों को संशोधित योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय बिना किसी विलंब के विशिष्ट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय–सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

## अध्याय - छह

### क़ौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस)

इस योजना का उद्देश्य रिकॉर्ड रखने का कार्य सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने में मदद करना है। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित चार मॉड्यूल को कवर करने वाले केंद्रीकृत डेटाबेस को रखने के लिए एनआईसी द्वारा वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएएमएसआई) नामक एक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया गया था:-

क) वक्फ का पंजीकरण

ख) मुतवल्ली मूल्यांकन रिटर्न

ग) संपत्तियों के पट्टे का विवरण

घ) मुकदमेबाजी की ट्रैकिंग

6.2 केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) इस योजना का कार्यान्वयन अभिकरण है। 2023-24 के बजटीय अनुमान के साथ वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नानुसार हैं:

**(रुपये करोड़ में)**

| **2020-21** | | | | **2021-22** | | | | **2022-23** | | | | **2023-24** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ब.अ.** | **सं. अ.** | **वा. व्यय** | **कमी/अतिरिक्त** | **ब.अ.** | **सं. अ.** | **वा. व्यय** | **कमी/ अतिरिक्त** | **ब.अ.** | **सं. अ.** | **वा. व्यय** | **कमी/ अतिरिक्त** | **ब.अ.** |
| 18.00 | 9.00 | 0.10 | सीडब्ल्यूसी से कम प्रस्ताव प्राप्त | 14.00 | 10.00 | 6.72 | सीडब्ल्यूसी से कम प्रस्ताव प्राप्त | 10.00 | 10.00 | 5.10 | निधियां अभी जारी की जानी हैं | 10.00 |

6.3 केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका और योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:

"केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) का कार्यान्वयन अभिकरण है। इस योजना के तहत, मंत्रालय सीडब्ल्यूसी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वमसी) मॉड्यूल, वक्फ संपत्ति के जीआईएस मानचित्रण, एस डब्ल्यू बी के बेहतर प्रशासन के लिए केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा (सीसीएफ) के रखरखाव में डेटा एंट्री करने के लिए जनशक्ति की तैनाती के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) को आगे संवितरित करता है। डब्ल्यूएएमएसआई वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण, वक्फ संपत्तियों के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल है। अब तक 8,68,358 अचल वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड वमसी पंजीकरण मॉड्यूल में दर्ज किए गए हैं और 3,59,024 वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की गई है।"

6.4 राज्य वक्फ बोर्ड की संख्या और उनके द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वर्तमान में, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 32 वक्फ बोर्डों का गठन किया है (बिहार और उत्तर प्रदेश में दो वक्फ बोर्ड हैं- शिया और सुन्नी के लिए एक-एक वक्फ अधिनियम, 1995 की यथा संशोधित धारा 32 के अनुसार, किसी राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) के पास निहित है और यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके अधीक्षण के अधीन औकाफ का उचित रखरखाव नियंत्रण और प्रशासन हो और उसकी आय को मदों पर और उन उद्देश्यों या कारणों जिनके लिए ऐसे औकाफ बनाए गए थे, पर विधिवत रूप से लागू किया जाता है।"

6.5 बजटीय आवंटन की पर्याप्तता और बजटीय आवंटन बढ़ाने के लिए किसी भी तिमाही से किसी भी रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:

"कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) के तहत कार्यान्वयन अभिकरण यानी केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को सहायता अनुदान (जीआईए) जारी किया जाता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण को निधियां जारी की जाती हैं जो व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) को निधियां जारी करेगी। इस योजना के अंतर्गत जन शक्ति की तैनाती, वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) के कुशल प्रशासन के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एसडब्ल्यूबी ने सीडब्ल्यूसी को समय पर व्यवहार्य प्रस्ताव और पिछले अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए योजना के तहत व्यय आवंटन की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। बजटीय आवंटन बढ़ाने के लिए किसी भी तरफ से कोई मांग नहीं की जा रही है।"

6.6 2020-21, 2021-22 और 2022-2023 के दौरान वास्तविक व्यय कम होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में व्यय का औचित्य बताते हुए कहा कि:

"क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वक्फ संपत्तियों के जीआईएस मैपिंग कार्य के लिए साइट पर वास्तव में यात्रा की आवश्यकता होती है**,** लेकिन कोविड-19 के अचानक फ़ैलने के कारण राष्ट्रव्यापी लौक डाउन हुआ जिसके परिणामस्वरूप यह काम रुक गया । इसलिए**,** आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अलावा, एसडब्ल्यूबी से व्यवहार्य प्रस्तावों और लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण सीडब्ल्यूसी द्वारा इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी नहीं की जा सकीं।"

6.7 योजना में संशोधन के बारे में पूछे जाने पर और इससे वक्फ बोर्डों के कामकाज में कैसे सुधार आएगा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:

"कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) को नवंबर, 2021 में संशोधित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ जनशक्ति की तैनाती के लिए विभिन्न नए घटक जोड़े गए हैं जैसे जीआईएस-डिजिटाइजेशन- पर्यवेक्षक, नामांतरण अधिकारी/नामांतरण, जोनल वक्फ अधिकारी, सर्वेक्षण सहायक, वमसी मॉड्यूल में डाटा एंट्री करने के लिए सहायक विकास कर्ता, वक्फ संपत्ति का जीआईएस मानचित्रण, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए केन्द्रीकृत कम्प्यूटिंग सुविधा (सीसीएफ) का

रखरखाव करना। यह जनशक्ति मूल्य वर्धन प्रदान करके वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार करने के लिए है।"

6.8 केंद्रीय वक्फ परिषद को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्डों को धन संवितरित करने के लिए कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि वे वकफ्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखें और उन्हें कम्प्यूटरीकृत कर सकें। चूंकि योजना अभी तक वांछित गति प्राप्त नहीं कर पाई है, समिति की राय है कि योजना के निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। समिति आशा करती है कि योजना में संशोधन के बाद तकनीकी विशेषज्ञ जनशक्ति की तैनाती, वक्फ संपत्ति की जीआईएस मैपिंग आदि जैसे नए घटकों को जोड़ने से वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार होगा और बजटीय आवंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। समिति उम्मीद करती है कि केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। उन्हें लगता है कि योजना के दिशा–निर्देशों की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता महसूस हो तो मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों को नए दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिए। मंत्रालय द्वारा योजना के इस तरह के मूल्यांकन से उन्हें योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और तदनुसार, समिति चाहती है कि मंत्रालय को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

## अध्याय - सात

## शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीजे)

वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा धर्मनिष्ठ, धार्मिक अथवा धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोजन हेतु चल अथवा अचल संपत्तियों के स्थायी समर्पण हैं। इनके धार्मिक पहलुओं के अलावा, वक्फ सामाजिक कल्याण के उपकरण भी हैं क्योंकि इसके लाभ सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को मिलते हैं। तथापि, देश में ज्यादातर वक्फ की सीमित एवं लगभग स्थिर आय है। परिणाम यह हुआ है कि आमतौर पर मुतवल्ली (वक्फ के प्रबंधक) वक्फ के आशय को अथवा उन प्रयोजनों को पर्याप्त रूप में पूरा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं जिनके लिए ये औकाफ सृजित किए गए हैं। अधिकांश शहरी वक्फ भूमियों में विकास की बहुत संभावना है किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी पर्याप्त संसाधन जुटाने अथवा इन भूमियों पर आधुनिक कार्यात्मक भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं। औकाफ तथा वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए यह योजना खाली वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और यह कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को विकसित करने के लिए तैयार की गई है। योजना के तहत, वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों, जैसे वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों और वक्फ संस्थानों को वक्फ बोर्डों (डब्ल्यूबी)/वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

7.2 मंत्रालय ने सूचित किया कि संशोधित योजना में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें विशेष मामले के रूप में, वक्फ भूमि पर सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान 2.00 करोड़ रुपये है। सीडब्ल्यूसी को 1.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

7.3 2023-24 के बजटीय अनुमान के साथ 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

| 2020-21 | | | | 2021-22 | | | | 2022-23 | | | | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब.अ. | सं.अ. | वा. व्यय | कमी/आधिक्य | ब.अ. | सं.अ. | वा. व्यय | कमी/आधिक्य | ब.अ. | सं.अ. | वा. व्यय | कमी/आधिक्य | ब.अ. |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 2.00 | 2.00 | 1.00 | एसडब्ल्यूबी प्रस्ताव कम की प्राप्ति और सीडब्ल्यूसी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना | 5.00 | 5.00 | 0.00 | निधियां अभी जारी की जानी हैं | 7.00 |

7.4 2022-23 और 2023-24 में बजटीय आवंटन में वृद्धि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, जबकि बजटीय आवंटन 2021-22 और 2022-23 खर्च नहीं किया जा सका, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

> "केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई) की योजना को नवंबर, 2021 में संशोधित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत एक नया घटक जोड़ा गया जिसके माध्यम से वक्फ भूमि पर सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थाओं को सहायता अनुदान दिया गया, जिसके लिए स्कीम के बजटीय आबंटन में वृद्धि की गई थी। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र से कोई व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत कम व्यय हुआ।"

7.5 प्रत्येक राज्य में इस योजना के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रदान करने के लिए पूछे जाने पर और इन पहलों ने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रत्येक वक्फ बोर्ड को प्रदान किए गए लक्ष्य के मुकाबले ऋण/सहायता अनुदान के साथ लक्षित व्यक्तियों को कैसे लाभान्वित किया है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई) के तहत देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों और वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों जैसे वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, छात्रावास, मुसाफिरखाना और कोल्ड स्टोरेज आदि, के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान वक्फ संस्थानों को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

**(रुपये लाख में)**

| **2019-20** | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **राज्य का नाम** | **राशि** |
| 1 | कर्नाटक | 128.75 |
| 2 | केरल | 276.25 |
| | **कुल** | **405.00** |
| **2020-21** | | |
| **क्र. सं.** | **राज्य का नाम** | **राशि** |
| 1 | मध्य प्रदेश | 100.00 |
| 2 | कर्नाटक | 112.00 |
| 3 | केरल | 188.00 |
| | **कुल** | **400.00** |
| **2021-22** | | |
| **क्र. सं.** | **राज्य का नाम** | **राशि** |
| 1 | केरल | 33.25 |
| **2022-23 (2021-22 के जीआईए शेष से जारी)** | | |
| **क्र. सं.** | **राज्य का नाम** | **राशि** |
| 1 | कर्नाटक | 47.75 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | 19.00 |
| | **कुल** | **66.75** |

यद्यपि इस स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तथापि सीडब्ल्यूसी द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न एसडब्ल्यूबी से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाती है और पात्र परियोजनाओं को ब्याज मुक्त ऋण जारी किया जाता है।"

7.6 अतिक्रमण वाली वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) को अनधिकृत कब्जे और वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है।"

7.7 वक्फ संपत्ति मामलों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "वास्तविक रूप से फील्ड में बहुत सारे केसेज होते हैं। यह बात सही है। वक्फ़ के बहुत सारे केसेज होते हैं। वक्फ़ एक्ट वर्ष 2013 में अमेंड हुआ था, उसके तहत सभी स्टेट्स में ट्राइब्यूनल्स होते हैं। यह जो ट्राइब्यूनल्स की प्रक्रिया है, अभी लगभग दस साल हो गए हैं, तो अब सिविल कोर्ट्स की जगह इसको ट्राइब्यूनल्स देखते हैं। यह व्यवस्था अभी पूरी तरह से रूटेड नहीं हुई है। उसको कैसे स्ट्रेन्थेन किया जाए। क्या एक्ट में हम लोग कुछ चेंजेज ला सकते हैं, जिससे जो फील्ड लेवल की लिटिगेशन है, वह कम हो जाए।"

7.8 इन मामलों के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "ज्यादातर केसेज पर्सनल होते हैं। अगर उसे दान किया गया है या नहीं किया गया है, जो कि ट्रिब्यूनल लेवल पर हैं। सेंट्रल लेवल पर बहुत कम केसेज होते हैं। 95-99 परसेंट केसेज स्टेट लेवल पर होते हैं। ज्यादा तरह के केसेज वक्फ ट्रिब्यूनल्स में होते हैं।"

7.9 इस संबंध में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने चर्चा के दौरान समिति के समक्ष बताया कि:

> "अगर कुछ ऐसे फैसले आते हैं, जिनका वाइडर पॉलिसी इमप्लिकेशन होता है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। हमारे पास आंकड़े रहते हैं। हम सचिवालय से राज्यवार आंकड़े शेयर कर लेंगे। लेकिन हर एक केसेज का विश्लेषण कि किसमें क्या डिसिज़न हुआ, उस तरह के आंकड़े की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।"

**7.10 समिति यह जानकर खुश है कि शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना के तहत आबंटित धनराशि 2021–22 में 2.00 करोड़ रुपये और 2020–21 में 3.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 में 7.00 करोड़ रुपये हो गई है। चूंकि ऐसी कई वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के अधीन हैं और राज्य न्यायाधिकरणों में मामले लंबे समय से लंबित हैं, इसलिए समिति का मानना है कि विकास के लिए योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वक्फ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए ऐसे मामलों में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए, समिति योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को उचित तंत्र विकसित करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि 2023–24 के लिए आवंटित बजट का पूरी तरह से**

उपयोग किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि राज्य वक्फ बोर्डों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए यदि वे योजना को लागू करने में सक्षम नहीं हैं और मंत्रालय से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाते हैं। समिति कार्रवाई के स्तर पर मंत्रालय द्वारा परिकल्पित कदमों के बारे में सूचित करना चाहेगी।

## अध्याय - आठ

## हज प्रबंधन

हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य, जिसमें हज समिति अधिनियम, 2002 का प्रशासन और उसके तहत बनाए गए नियम शामिल हैं, को 01.10.2016 को विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमओ) अब विदेश मंत्रालय, भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा, नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के समन्वय से हज संबंधी सभी मामलों की देखभाल कर रहा है।

8.2 हर साल हज करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सऊदी अरब राज्य (केएसए) के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित की जाती है। इसके बाद प्राप्त कोटे को भारतीय हज समिति और हज समूह के आयोजकों के बीच वितरित किया जाता है। भारत का वार्षिक कोटा हज 2014 के दौरान 1,36,000 तीर्थयात्रियों से बढ़कर हज 2019 के लिए 2,00,000 तीर्थयात्रियों का हो गया। सऊदी सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण हज 2020 और हज 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को अनुमति नहीं दी। दो साल के अंतराल यानी 2020 और 2021 के बाद, वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत देश को हज, 2022 के लिए 79,237 तीर्थयात्रियों का कोटा प्राप्त हुआ। यह कोटा भारतीय हज समिति (56,637) और हज समूह के आयोजकों (22,600) द्वारा साझा किया गया था।

8.3 भारत में, हज यात्री या तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन, भारतीय हज समिति (एचसीओआई) या मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी हज समूह आयोजकों (एचजीओ) के माध्यम से तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। भारत सरकार अन्य मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से भारत और सऊदी अरब दोनों में भारतीय तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए कई व्यवस्थाएं करती है। भारतीय तीर्थयात्रियों को उनके सहज, सुरक्षित और आरामदायक हज अनुभव के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा की जिम्मेदारी तीर्थयात्रियों की देखभाल करने और जेद्दा/ मदीना हवाई अड्डे पर पहुंचने और सऊदी अरब के राज्य में रहने के दौरान उनकी शिकायतों का निवारण करने की है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय हज तीर्थयात्रियों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं भी

प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए हज सीजन के दौरान अस्थायी चिकित्सा मिशन कार्यालय खोले जाते हैं।

8.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हज प्रबंधन में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

**केवल मेहरम के साथ महिलाओं के लिए हज पर लगे प्रतिबंध को हटाना**

(i) कई दशकों से, मुस्लिम महिलाएं मेहरम (पुरुष साथी) के बिना हज करने वाली मुस्लिम महिलाओं पर सरकारी प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रही थीं, क्योंकि इस प्रतिबंध ने अविवाहित महिलाओं और अन्य कामकाजी महिलाओं जैसे शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, उद्यमी जो हज पर जाना चाहती थीं, पर जा नहीं जाती थी, पर रोक लगा दी थी। लेकिन ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उनके साथ हज यात्रा पर जाने के लिए मेहरम नहीं था। लंबे समय से चली आ रही यह मांग संसद में सांसदों द्वारा विशेषकर महिला सांसदों द्वारा, और संसद के बाहर भी विभिन्न महिला संगठनों द्वारा भी उठाई गई थी। माननीय सांसदों और सामाजिक संगठनों ने मांग की कि दशकों पुराने इस प्रतिबंध को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं पर बिना मेहरम के हज करने पर प्रतिबंध कई इस्लामिक देशों में भी मौजूद नहीं था। आजादी के बाद पहली बार सरकार ने 2017 में बिना 'मेहरम' के हज पर जाने वाली मुस्लिम महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, जिसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

हज प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

(ii) हज प्रबंधन की अधिकांश प्रक्रियाएं परंपरागत रूप से भारतीय हज समिति और सीजीआई, जेद्दा द्वारा मैन्युअल रूप से की जा रही थीं। नागरिकों को डिजिटल रूप से हज संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी ताकि वे कहीं भी कभी भी सेवाओं का उपयोग कर सकें। भारतीय हज समिति ने 2008 से कुछ डिजिटलीकरण प्रक्रियाएं और आईटी आधारित समाधान शुरू किए। हालांकि, वर्ष 2014 के बाद इसमें तेजी आई जब विदेश मंत्रालय द्वारा हज प्रतिनियुक्तों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया।

ईज ऑफ डूइंग हज" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हज प्रक्रियाओं को 100% डिजिटल बनाने के लिए सभी स्तरों पर गहन प्रयास किए गए। हज प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार

करने और भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा हज यात्रा को आसान बनाने के लिए, हज के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया था जो 2020 में होनी थी।

**विवेकाधीन कोटा की समाप्ति**

(iii) माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारत की हज समिति का विवेकाधीन कोटा यह सुनिश्चित करने के लिए समाप्त कर दिया गया है कि कोई वीआईपी संस्कृति का प्रचार न हो। इन विवेकाधीन कोटा के तहत सीटों को हज तीर्थयात्रियों के नियमित कोटा आवंटन के साथ मिला दिया जाएगा। इस प्रकार, यह प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाते हुए, आम तीर्थयात्रियों के लिए बढ़े हुए हज कोटे का लाभ उठाने का अवसर भी सुनिश्चित करेगा।

8.5 हज प्रबंधन के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.), वास्तविक व्यय (वा. व्यय) के साथ-साथ 2023-24 के लिए बजट अनुमान निम्नानुसार है:

| **2020-21** | | | | **2021-22** | | | | **2022-23** | | | | **ब.अ. 2023-24** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ब.अ.** | **सं.अ.** | **वा. व्यय** | **कमी/अतिरिक्त व्यय, यदि कोई कारण है, संक्षेप में कारणों को दर्शायें** | **ब.अ.** | **सं.अ.** | **वा. व्यय** | **कमी/अतिरिक्त व्यय, यदि कोई कारण है, संक्षेप में कारणों को दर्शायें** | **ब.अ.** | **सं.अ.** | **वा. व्यय (31.12.2022 तक)** | **कमी/अतिरिक्त व्यय, यदि कोई कारण है, संक्षेप में कारणों को दर्शायें** | |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **16** |
| 98.00 | 13.00 | 4.93 | हज रद्द होने से खाली पद, कम दौरे/उपार्जन | 98.00 | 12.04 | 7.10 | हज को रद्द होने के कारन कम व्यय | 89.42 | 75.00 | 54.91 | निधियां अभी जारी की जानी हैं | 97.00 |

8.6 हर साल हज यात्रियों की संख्या तय करने के लिए निर्धारित शर्तों और हज यात्रियों की संख्या को 2019 के लिए 2,00,000 से घटाकर हज, 2022 के लिए 79,237 किए जाने के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "प्रत्येक वर्ष के लिए हज यात्रियों की संख्या सऊदी अरब राज्य की सरकार द्वारा आवंटित कोटा के आधार पर निर्धारित की जाती है। सऊदी अधिकारी किसी देश में मुस्लिम आबादी के प्रत्येक 1 मिलियन (1: 1000 अनुपात) के लिए 1,000 तीर्थयात्रियों के अनुपात में कोटा निर्धारित करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत के लिए कोटा भारत की मुस्लिम आबादी के आधार पर आवंटित किया गया है। 2019 के बाद हज कोटे में हालिया गिरावट यात्रा पर कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों और केएसए की कोविड संबंधित नीति के कारण थी। अब, हज 2023 के लिए वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत, भारत को केएसए द्वारा 1,75,025 के अपने मूल कोटा को बहाल कर दिया गया है।"

8.7 2018 में सब्सिडी समाप्त होने से पहले हज, 2014 से हज, 2017 के लिए सब्सिडी सहित कुल व्यय और 2018 में सब्सिडी समाप्त होने के बाद किए गए व्यय की राशि के साथ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए बजटीय आवंटन की पर्याप्तता के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "बजटीय आवंटन जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 2017 से पहले हज यात्रा के लिए सब्सिडी का प्रावधान था। सब्सिडी की राशि भारत सरकार द्वारा हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाने वाले हज यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की व्यवस्था करने के लिए दी गई थी। यह नागर विमानन मंत्रालय के बजट में परिलक्षित होता है, जो इस संबंध में नोडल मंत्रालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 08.05.2012 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की थी कि हज राजसहायता को समाप्त किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार को राजसहायता की राशि को उत्तरोत्तर कम करने का निदेश दिया ताकि इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। तदनुसार, हज सब्सिडी को धीरे-धीरे 2012-13 में 836.56 करोड़ रुपये से घटाकर वर्ष 2017-18 में 210.63 करोड़ रुपये कर दिया गया और इसे हज 2018 से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई यात्रा पर हज सब्सिडी हटाने के बाद भी हज यात्रियों पर न्यूनतम वित्तीय बोझ हो, हज

2018 से, निर्दिष्ट आरोहण स्थलों से हज यात्रियों को पिछले वर्ष के वास्तविक हवाई किराए के आधार पर अपने निर्दिष्ट आरोहण स्थल या निकटतम किफायती आरोहण स्थल का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाता है। वर्तमान में, हवाई यात्रा का खर्च हज यात्रियों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। सीजीआई, जेद्दा की स्थापना के शीर्ष के तहत मंत्रालय द्वारा वहन किए गए बजटीय व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**(रुपये हजार में)**

| **वर्ष** | **बजट अनुमान** | **उपयोग** |
|---|---|---|
| **2018-19** | 767900 | 733705 |
| **2019-20** | 850000 | 752296 |
| **2020-21** | 880000 | 42615 |
| **2021-22** | 880000 | 42615 |
| **2022-23** | 794200 | 548491.26 |

8.8 वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदमों और हज यात्रियों पर हज सब्सिडी समाप्त करने के कारणों और उसके पश्चात इससे उन्हें कैसे लाभ हुआ है, के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई यात्रा पर हज सब्सिडी हटाने के बाद भी हज यात्रियों पर न्यूनतम वित्तीय बोझ पड़े, हज 2018 से, निर्दिष्ट आरोहण स्थलों से तीर्थयात्रियों को पिछले वर्ष के वास्तविक हवाई किराए के आधार पर अपने निर्दिष्ट आरोहण स्थल या निकटतम किफायती आरोहण स्थल का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाता है। वर्तमान में, हवाई यात्रा का खर्च हजयात्रियों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

8.9 हज यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"भारतीय तीर्थयात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने सऊदी अरब गणराज्य (केएसए) के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत हज 2023 के लिए 1,75,025 तीर्थयात्रियों का पूर्ण हज कोटा प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए। कोटा में

वृद्धि भारतीय मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी को अपेक्षाकृत कम आर्थिक लागत पर अपनी धार्मिक आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम करेगी।

हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने और जरूरतमंदों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हज नीति 2023 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:

क) सरकार के विवेकाधीन हज कोटा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और आम नागरिकों के लाभ के लिए अब से गणमान्य व्यक्तियों और वीआईपी के लिए सीटें सामान्य पूल के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी।

ख) भारतीय हज समिति के पैकेज के तहत आम आदमी के हितो को ध्यान में रखते हुए हज यात्रा की कुल लागत को कम करने का प्रयास किया गया है। तीर्थयात्री अब अपनी व्यक्तिगत उपभोग्य सामग्रियों के साथ अपनी हज यात्रा की योजना बना सकते हैं। हज पैकेज से छतरी, चादर, मानकीकृत सामान जैसी वस्तुओं को बाहर करने )जो पहले भारतीय हज समिति से अनिवार्य रूप से लिया जाना अनिवार्य था (से हज यात्रा के खर्च में 7,000/- रु .तक की कमी आई है। इसके अलावा, प्रत्येक हज यात्री द्वारा 2,100 सऊदी रियाल (एसआर) उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य भुगतान को समाप्त करने से भारतीय हज समिति की लागत को और 43,260/- कम कर दिया है। इसलिए, भारतीय हज समिति के हज पैकेज की कुल लागत लगभग 50,000/- रूपए कम हो जाएगी।

ग) पहली बार, तीर्थयात्रियों के पास अब देश के 25 हवाई अड्डों में से अपने आरोहण स्थल चुनने के लिए व्यापक विकल्प होंगे।

घ) पहली बार 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, जो हज करने की इच्छुक हैं, बिना मेहरम के हज के लिए आवेदन कर सकती हैं। अलग-अलग महिलाओं के समूह को भारतीय हज समिति द्वारा सुगम बनाया जाएगा।

ङ) पहली बार महिला तीर्थयात्रियों, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर हज के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।

च) सऊदी अरब गणराज्य (केएसए) में पहली बार हज के दौरान शिशुओं और माताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

छ) पहली बार, तीर्थयात्रियों को भारत सरकार के अस्पताली ईएसआईसी अस्पतालों आदि सहित उनके जिला स्वास्थ्य केन्द्रों, सरकारी प्रयोगशालाओं में स्वास्थ्य सत्यापन और आरटीपीसीआर जांच कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ज) दिशा-निर्देश के अनुसार जो तीर्थयात्री रूबत में रहने के हकदार हैं और रहना चाहते हैं, उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी और भारतीय हज समिति द्वारा उनके आवास के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आशा है कि इस प्रावधान से उन तीर्थयात्रियों के हज की कुल लागत में कमी आएगी जो स्वत सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार है।"

8.10 हज यात्रियों पर प्रति व्यक्ति खर्च के बारे में पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"हज यात्रियों पर प्रति व्यक्ति खर्च भारत के विभिन्न आरोहण स्थालों (ईपी) के संदर्भ में अलग-अलग होता है, जहां से तीर्थयात्री हज यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। हज 2022 के लिए, आरोहण स्थल-वार व्यय गणना (10 ईपी) इस प्रकार हैं:

**हज- 2022**

| **क्र. सं.** | **आरोहण स्थल** | **प्रति व्यक्ति व्यय (प्रति तीर्थयात्री)** |
|---|---|---|
| | | **रुपये में** |
| 1 | अहमदाबाद | 3,76,189 |
| 2 | बेंगलुरु | 3,97,355 |
| 3 | कोचीन | 3,82,350 |
| 4 | दिल्ली | 3,86,995 |
| 5 | हैदराबाद | 3,87,667 |
| 6 | कोलकाता | 4,12,688 |
| 7 | लखनऊ | 3,88,560 |
| 8 | मुंबई | 3,74,172 |
| 9 | गुवाहाटी | 4,32,241 |
| 10 | श्रीनगर | 4,20,212 |

भारतीय हज समिति के पैकेज के तहत हज यात्रा की कुल लागत को कम करने के लिए, भारत सरकार ने 2023 की हज नीति के तहत छतरी, चादर, मानकीकृत सामान जैसी चीजों को हज पैकेज से बाहर करने का फैसला किया है, जो पहले भारतीय हज समिति द्वारा भुगतान के आधार पर उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के बावजूद तीर्थयात्रियों को अनिवार्य रूप से हज यात्रियों को प्रदान किया जाना था। इससे

तीर्थयात्रियों के तीर्थ यात्रा के खर्च में 7,000/- रु. तक की कमी आई है। इसके अलावा, प्रत्येक तीर्थयात्री द्वारा 2.100 मऊदी रियाल (एसआर) उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य भुगतान को समाप्त करने में भारतीय हज समिति की लागत को और 43.260/- कम कर दिया है। इसलिए, भारतीय हज समिति के हज पैकेज की कुल लागत लगभग 50,000/- रुपए कम हो जाएगी। इसके अलावा, तीर्थयात्रियों को अब पिछले वर्ष के वास्तविक हवाई किराए के आधार पर उनके नामित आरोहण स्थल या निकटतम किफायती आरोहण स्थल को चुनने का विकल्प भी दिया गया है। यह भी बताया गया है कि एचजीओ तीर्थयात्रियों को बाजार दरों पर विभिन्न पैकेज प्रदान करते है।"

8.11 जब हज की डिजिटलीकरण प्रक्रिया की स्थिति और तीर्थयात्रियों को डिजिटलीकरण से होने वाले लाभों के बारे में पूछा गया, जिसमें पहले की प्रणाली की तुलना में वर्तमान में पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय भी शामिल है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"हज आवेदनों को आमंत्रित करने, स्वास्थ्य अभिलेखों के रखरखाव सामान की टैगिंग, लॉटरी निकालने, वीजा आवेदन करने और मक्का में आवास के आवंटन सहित हज प्रबंधन की प्रमुख गतिविधियों का डिजिटलीकरण किया गया है। हज के लिए जाने वाले यात्री ऑनलाइन आवेदन करने, मोबाइल एप्लिकेशन पर अपनी प्रगति को ट्रैक करने 'ई-मसीहा' स्वास्थ्य कार्ड और ई-सामान प्री टैग सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होगे। तीर्थयात्रियों को भारत में ही मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के संबंध में सभी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा, हज समूह आयोजको (एचजीओ) के लिए एक समर्पित पोर्टल भी विकसित किया गया है ताकि कामकाज और संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और हज समूह आयोजकों के माध्यम से हज करने के इच्छुक हज तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।"

**8.12 समिति नोट करती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से भारतीय हज समिति या निजी हज समूह आयोजकों के माध्यम से हज तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था कर रहा है। भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा की जिम्मेदारी तीर्थयात्रियों की देखभाल करने और जेद्दा/मदीना हवाई अड्डे पर पहुंचने और सऊदी अरब में उनके प्रवास के दौरान शिकायतों का निवारण करने की है। समिति ने पाया कि हज के लिए भारत का वार्षिक कोटा हज 2014 के दौरान 1,36,000 तीर्थ यात्रियों से बढ़कर हज 2019 के दौरान 2,00,000 तीर्थ यात्रियों का हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में मंत्रालय द्वारा कई प्रगतिशील**

उपाय भी किए गए हैं जैसे मुस्लिम महिलाओं का बिना महरम के हज के लिए जाना, हज प्रक्रिया का डिजिटलीकरण आदि। समिति यह जानकर खुश है कि मंत्रालय ने हज नीति, 2023 तैयार करके हवाई यात्रा की लागत में कटौती करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ छाता, चादरें, मानकीकृत बैगेज जैसी आइटमों को बाहर किया गया है और प्रत्येक तीर्थयात्री से 2,100 एस आर का अनिवार्य भुगतान को हटाया गया है। समिति महसूस करती है कि विवेकाधीन कोटे को बंद करने और तीर्थयात्रियों का पूरा हज कोटा प्राप्त करने के सरकार के प्रयास से हज यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, समिति हज तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने के लिए पिछले वर्षों में किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहेगी। उनका मत है कि हज तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किए गए बजटीय आवंटन को सावधानीपूर्वक खर्च किया जाना चाहिए और इस मद में होने वाले व्यय को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। समिति तीर्थयात्रियों के हित में भविष्य में प्रक्रिया को और सरल बनाने की उम्मीद करती है। हज तीर्थयात्रा की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए, समिति सिफारिश करती है कि हज तीर्थयात्रियों के लिए फीडबैक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के फीडबैक के आधार पर तीर्थयात्रियों के लिए प्रक्रिया को और अद्यतन किया जा सके।

**नई दिल्ली;**
**22 मार्च, 2023**
**01 चैत्र, 1945 (शक)**

**रमा देवी,**
**सभापति,**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता**
**संबंधी स्थायी समिति**

## परिशिष्ट

## टिप्पणियां/सिफारिशें का विवरण

| क्रम सं | पैरा सं | टिप्पणियांसिफारिशें/ |
|---|---|---|
| 1 | 2.11 | समिति नोट करती है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2020–21 में 3998.57 करोड़ रुपये और 2021–22 में 4325.24 करोड़ रुपये खर्च किए थे, हालांकि, वे 13 फरवरी, 2023 तक 2022–23 में केवल 668.42 करोड़ रुपये खर्च कर पाए हैं। समिति समझती है कि 2022–23 में कम व्यय का कारण 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम (पीएमजेवीके)' योजना में कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के पास 2700 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि है। चूंकि पीएफएमएस में नई अपनाई गई एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली के तहत इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तब तक धन जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि को खर्च नहीं किया जाता है और उनके द्वारा इसका समाधान नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र रूप से पी एम जे वी के के लिए कम व्यय हुआ है। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की गहन जांच के कारण कौशल योजना के तहत किए गए बजटीय आवंटन को 235.00 करोड़ रुपये से घटाकर 100.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि छात्रवृत्ति योजना में 100 प्रतिशत व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि इस तरह के धन का एक बड़ा हिस्सा एक वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च किया जाता है। मंत्रालय, हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत तक संशोधित अनुमान का 90 प्रति□ात खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए समिति आशान्वित है। 2023–24 के बजटीय अनुमान के संबंध में, समिति ने पाया कि 2020–21 में 5029.00 करोड़ रुपये, 2021–22 में 4810.77 करोड़ रुपये और 2022–23 में 5020.50 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में इसे घटाकर 3097.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्हें सूचित किया गया है कि आवंटन से अधिक व्यय के मामले में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर 2023–24 में अधिक धनराशि की मांग करेगा। समिति आशा करती है कि एक बार शुरुआती समस्याएं समाप्त हो जाने के बाद, मंत्रालय एसएनए प्रणाली के नए तंत्र को अपनाने के |

| | | |
|---|---|---|
| | | साथ विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होगा, क्योंकि इससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की जवाबदेही बढ़ेगी और विवेक के साथ वित्तीय औचित्य सुनिश्चित होगा। । इसलिए, वे अनुशंसा करते हैं कि मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई और मार्गदर्शन जारी रखा जाए ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जल्द से जल्द एसएनए की स्थापना की जा सके और अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण की योजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय 2022–23 में संशोधित अनुमान का 90 प्रतिशत खर्च करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वे यह भी चाहेंगे कि मंत्रालय सभी योजनाओं को समय पर लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए ताकि 2023–24 के लिए आवंटित धन का भी विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके। |
| 2 | 3.17 | समिति को यह जानकर खुशी हुई कि तीन छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात, मंत्रालय द्वारा लागू प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और योग्यता–सह–साधन छात्रवृत्ति योजना को 2025–26 तक जारी रखने का प्रस्ताव है और 2020–21 और 2021–22 में इन योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या क्रमशः 60.23 लाख और 65.63 लाख थी। समिति का मानना है कि शिक्षा किसी भी समुदाय को सशक्त और विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है और इसलिए सरकार को इस दिशा में सभी प्रयास करने चाहिए। समिति को भरोसा है कि छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम अर्थात माता–पिता की वार्षिक आय में संशोधन, छात्रवृत्ति की दरों का युक्तिकरण, वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/समुदाय–वार आवंटन में संशोधन और लक्ष्य में वृद्धि समग्र छात्रवृत्ति आवंटन के लिए छात्राओं को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक निर्धारित करना, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित गरीब से गरीब छात्रों को शिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा । लाभार्थियों के कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए, समिति एक गहन जागरूकता अभियान और आवेदन भरने में किसी भी कठिनाई का सामना करने पर छात्रों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की भी सलाह देती है, ताकि इससे आवेदनों की अस्वीकृति को |

| | | |
|---|---|---|
| | | कम किया जा सके। विशेष रूप से माता–पिता की वार्षिक आय में संशोधन, छात्रवृत्ति दर के युक्तिकरण आदि के संबंध में समिति मंत्रालय से सभी मुद्दों को अंतिम रूप देने का भी आग्रह करेगी। समिति मंत्रालय से इस बात की जांच करने की भी सिफारिश करती है कि क्या लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन भरने की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी शुरू की जा सकती है ताकि लाभार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति राशि मिल सके। |
| 3 | 4.10 | समिति नोट करती है कि 2022–23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मौजूदा पांच योजनाएं अर्थात, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम–विकास) योजना में शामिल किया गया है, ताकि उद्देश्यों में किसी तरह के दोहराव को रोका जा सके और विभिन्न घटकों में बेहतर तालमेल हासिल किया जा सके। समिति ने पाया कि 2022–23 के लिए 330.91 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से मंत्रालय 46.86 करोड़ रुपये खर्च कर सका और 2023–24 के लिए योजना के तहत अब 540.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति का अनुमान है कि सभी योजनाओं के पूरी तरह से पीएम–विकास योजना के तहत आने के बाद सभी उप–योजनाओं के संबंध में व्यय में वृद्धि होगी। चूंकि एकीकृत योजना के तौर–तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, समिति उम्मीद करती है कि पिछले वर्षों में पूर्ववर्ती पांच योजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय द्वारा देखी गई सभी कमियों का ध्यान रखा जाए, ताकि किसी और बदलाव की आवश्यकता न हो, जो विलय की गई योजना के चालू होने के बाद महसूस किया जाये। समिति यह भी आग्रह करती है कि वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई निगरानी प्रणाली कुशल और प्रभावी होनी चाहिए। साथ ही एक उचित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति सावधानी से की जा सके। इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि पीएम–विकास के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और एसओपी तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाए और योजना के पूर्ण कामकाज के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं ताकि 2023–24 के लिए योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आवंटित धन का उपयोग किया जा सके। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा अपने कार्यवाही टिप्पणों में लिए गए कदमों की सूचना दी जानी चाहिए। |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 5.17 | समिति यह जानकर खुश है कि पीएमजेवीके यानी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसे पहले बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहा जाता था, को 2025–26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए देश के सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों में लागू किया गया है। पीएमजेवीके के लिए आवंटन के संबंध में, समिति ने नोट किया कि कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास उनके एसएनए खाते में पड़े 2531.93 करोड़ रुपये के अव्ययित शेष के कारण, 2023–24 के लिए बजटीय आवंटन को घटाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि एसएनए की नियुक्ति की संशोधित शर्त के साथ, राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्व में आवंटित धन का उपयोग करें और उन्हें धन का आगे आवंटन किए जाने से पहले इन निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। चूंकि समिति को पता चला है कि कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग करने में चूक की है, वे चाहते हैं कि मंत्रालय संशोधित मानदंडों के अनुपालन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन करे ताकि योजना को नुकसान न पहुंचे। समिति नोट करती है कि बड़ी संख्या में परियोजनाओं का निष्पादन, उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र के तहत 70525 परियोजनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत 5850 परियोजनाएं, कौशल क्षेत्र के तहत 431 परियोजनाएं और 2008–09 में योजना की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों को स्वीकृत 48512 अन्य परियोजनाएं सराहनीय हैं। लेकिन, साथ ही विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 58465 परियोजनाओं को रद्द/छोड़ना पड़ा क्योंकि वे कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शुरू नहीं की जा सकीं या अव्यवहार्य हो गईं। समिति आशा करती है कि मंत्रालय अब ऐसी अव्यवहार्य और अपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करने में सक्षम होगा, जिसे जियो–टैगिंग ऐप विकसित करने के बाद किया जा सकेगा और इसे पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा ताकि धन बेकार न रह जाए। समिति यह भी आशा करती है कि मंत्रालय यह देखने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी चिन्हित जिलों को संशोधित योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय बिना किसी विलंब के विशिष्ट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय–सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 6.8 | केंद्रीय वक्फ परिषद को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्डों को धन संवितरित करने के लिए कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि वे वकफ्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखें और उन्हें कम्प्यूटरीकृत कर सकें। चूंकि योजना अभी तक वांछित गति प्राप्त नहीं कर पाई है, समिति की राय है कि योजना के निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। समिति आशा करती है कि योजना में संशोधन के बाद तकनीकी विशेषज्ञ जनशक्ति की तैनाती, वक्फ संपत्ति की जीआईएस मैपिंग आदि जैसे नए घटकों को जोड़ने से वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार होगा और बजटीय आवंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। समिति उम्मीद करती है कि केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। उन्हें लगता है कि योजना के दिशा–निर्देशों की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता महसूस हो तो मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों को नए दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिए। मंत्रालय द्वारा योजना के इस तरह के मूल्यांकन से उन्हें योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और तदनुसार, समिति चाहती है कि मंत्रालय को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। |
| 6 | 7.10 | समिति यह जानकर खुश है कि शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना के तहत आबंटित धनराशि 2021–22 में 2.00 करोड़ रुपये और 2020–21 में 3.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 में 7.00 करोड़ रुपये हो गई है। चूंकि ऐसी कई वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के अधीन हैं और राज्य न्यायाधिकरणों में मामले लंबे समय से लंबित हैं, इसलिए समिति का मानना है कि विकास के लिए योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वक्फ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए ऐसे मामलों में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए, समिति योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को उचित तंत्र विकसित करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि 2023–24 के लिए आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि राज्य वक्फ बोर्डों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए यदि वे योजना को लागू करने में सक्षम नहीं हैं और मंत्रालय से ब्याज मुक्त ऋण की |

| | | |
|---|---|---|
| | | सुविधा का लाभ उठाते हैं। समिति कार्रवाई के स्तर पर मंत्रालय द्वारा परिकल्पित कदमों के बारे में सूचित करना चाहेगी। |
| 7 | 8.12 | समिति नोट करती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से भारतीय हज समिति या निजी हज समूह आयोजकों के माध्यम से हज तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था कर रहा है। भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा की जिम्मेदारी तीर्थयात्रियों की देखभाल करने और जेद्दा/मदीना हवाई अड्डे पर पहुंचने और सऊदी अरब में उनके प्रवास के दौरान शिकायतों का निवारण करने की है। समिति ने पाया कि हज के लिए भारत का वार्षिक कोटा हज 2014 के दौरान 1,36,000 तीर्थ यात्रियों से बढ़कर हज 2019 के दौरान 2,00,000 तीर्थ यात्रियों का हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में मंत्रालय द्वारा कई प्रगतिशील उपाय भी किए गए हैं जैसे मुस्लिम महिलाओं का बिना महरम के हज के लिए जाना, हज प्रक्रिया का डिजिटलीकरण आदि। समिति यह जानकर खुश है कि मंत्रालय ने हज नीति, 2023 तैयार करके हवाई यात्रा की लागत में कटौती करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ छाता, चादरें, मानकीकृत बैगेज जैसी आइटमों को बाहर किया गया है और प्रत्येक तीर्थयात्री से 2,100 एस आर का अनिवार्य भुगतान को हटाया गया है। समिति महसूस करती है कि विवेकाधीन कोटे को बंद करने और तीर्थयात्रियों का पूरा हज कोटा प्राप्त करने के सरकार के प्रयास से हज यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, समिति हज तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने के लिए पिछले वर्षों में किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहेगी। उनका मत है कि हज तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किए गए बजटीय आवंटन को सावधानीपूर्वक खर्च किया जाना चाहिए और इस मद में होने वाले व्यय को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। समिति तीर्थयात्रियों के हित में भविष्य में प्रक्रिया को और सरल बनाने की उम्मीद करती है। हज तीर्थयात्रा की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए, समिति सिफारिश करती है कि हज तीर्थयात्रियों के लिए फीडबैक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के फीडबैक के आधार पर तीर्थयात्रियों के लिए प्रक्रिया को और अद्यतन किया जा सके। |